
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
दिसम्बर 2018
हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) :
जीवन के सुनहरे पृष्ठ
–मुहम्मद महफ़ूज़ुर्रहमान अख़्तर
असहिष्णुता का रुझान और
मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाएं
–डॉ० ताहिर रज़ा बुख़ारी

Bengal Footwear Co.

Kohinoor's

Stockist : Moti, Apollo, Ashoka, Uttam, SSC etc.



ख़ुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक़दीर से पहले
ख़ुदा बन्दे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है ।

Bengal Footwear Co.

39, Rabindra Sarami,
Kolkata-700073

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 28 अंक 6 दिसम्बर 2018

और (ऐ नबी) हमने तुम्हें सारे संसार के लिए बस सर्वथा दयालुता बनाकर भेजा है ।

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

सपने की सीख

एक दिन मेरे एक मित्र ने अपना एक सपना सुनाया,
सपना कुछ इस तरह था–अंधेरी काली रात,
हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा था,
देखा, एक जगह आग जल रही है
आग की चमक ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया,
पहुंचे तो देखा, वह कोई मामूली आग न थी,
एक बहुत बड़े गढ़े में,
आग का एक दरिया था, जो बह रहा था,
ज़बरदस्त लपटें, धुधुवाते शोले, और काला धुवां
पीतल, तांबा, रांगा, तो ख़ैर
पत्थर भी डालो तो पिघल जाए,
बड़ी ख़ौफ़नाक आग थी वह,
डरा, सहमा मैं आगे बढ़ा जा रहा था
कि एक आवाज़ सुनाई दी,
कहां जा रहे हो, आगे बढ़ोगे तो आग की भेंट चढ़ जाओगे,
आग के शोले-लपटें,
तुम्हें लील जाएंगी, भस्म कर देंगी,
मैं ठिठुर कर खड़ा हो गया, थर-थर कांपने लगा,
बेइख़्तियार चीख़ पड़ा...
और आंख खुल गयी, आंख खुलने के बाद भी
बहुत देर तक मुझ पर भय छाया रहा,
बड़ी मुश्किल से मेरा मन शांत हुआ ।
बहुत देर तक सोचता रहा,
यह कैसा सपना था, क्या होता है इसका अर्थ ?
मन की शांति के लिए तुम्हारे पास आया हूं
बताओ, क्या है यह चीज़ ? मैंने कहा,
मित्र ! वैसे तो सपने की कोई हैसियत नहीं होती,
न इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए,
अलबत्ता इससे ज़रूर सबक़ लो,
वह यह कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा भयानक होगी,
और उसमें वे ज़रूर डाले जाएंगे,
जिन्होंने अपने पैदा करने वाले की बात न मानी होगी,
कुकर्म किये होंगे, और ऐसा जीवन जिए होंगे,
जिससे उनके पैदा करने वाले ने ज़रूर मना किया होगा,
अपना जायज़ा लो और लेते रहो,
कहीं तुम तो उन लोगों में से नहीं हो ?

● **डॉ० कौसर यज़दानी नदवी**



कहां क्या है ?

सपने की सीख	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
कुरआन ज्योति		5
ज्ञान (हदीस मंजरी)		6
नफ़रत की मानसिकता पर रोक लगाएं (संपादकीय)		7
सोशल मीडिया का महत्व (आपके पत्र)		11
हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशिमी	13
इस्लाम की जीवन व्यवस्था (आस्था)	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	15
समाज में तिरस्कृत वरिष्ठजन ? (विचार)	–सुधीर कुमार	19
'अन्नदाता' (कविता)	–कन्हैयालाल अग्रवाल 'आदाब'	20
भ्रष्टाचार उन्मूलन कैसे ? (ज्वलंत सामयिक)	–संपादन प्रभाग	21
आलोचना होने लगी (कविता)	–योगेन्द्र मौदगिल	24
इतिहास बिगाड़ने के हथकंडे	–खुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी	25
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) : जीवन के सुनहरे पृष्ठ (विशेष आयोजन)	–प्रो॰ मुहम्मद महफ़ूज़ुर्रहमान अख़्तर	26-27
असहिष्णुता का रुझान और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाएं (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ ताहिर रज़ा बुख़ारी	29
काम नहीं चलता 'के' के बिना (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ॰ किशोर पवार	33
मीत कर गए सभी किनारा (कविता)	–रोहित यादव	34
अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए शहीद शेर अली आफ़रीदी ने (इतिहास के झरोखे से)	–विष्णु शर्मा	35
उजड़ी बस्ती का मुसाफ़िर (कहानी)	–मुहम्मद तारिक़	39
इस्लाम में अनुशासन का महत्व (दृष्टिकोण)	–जावेद इक़बाल	43
दोहे	–रोहित यादव	45
विकास के दावों में ग़रीबी (सामयिकी)	–प्रभात रंजन	46
हाशिमपुरा : अति विलंबित न्याय ? (घटनाक्रम)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	48
घातक है फफूंद (बालवीथी)	–संपादन प्रभाग	49

कुरआन ज्योति

(77) मूसा ने कहा, "तुम सत्य को यह कहते हो जबकि वह तुम्हारे सामने आ गया ? क्या यह जादू है ? हालांकि जादूगर सफलता नहीं पाया करते"[75] (78) उन्होंने उत्तर में कहा, "क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीक़े से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है और धरती में बड़ाई तुम दोनों की क़ायम हो जाए ?[76] तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं।" (79) और फ़िरऔन ने (अपने आदमियों से) कहा कि "हर कला-विशेषज्ञ जादूगर को मेरे पास ला उपस्थित करो।" (80) जब जादूगर आ गये तो मूसा ने उनसे कहा, "जो कुछ तुम्हें फेंकना है, फेंको।" (81) फिर जब उन्होंने अपने अंछर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, "यह जो कुछ तुमने फेंका है, यह जादू है।[77] अल्लाह अभी इसे व्यर्थ किये देता है। बिगाड़ पैदा करने वालों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता (82) और अल्लाह अपने फ़रमानों से सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे वह अपराधियों को कितना ही अप्रिय हो।"

–क़ुरआन, 10:77-82

75. अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष में जादू और मोजज़े (चमत्कार) के बीच जो एकरूपता होती है उसके आधार पर तुम लोगों ने उसे निःसंकोच जादू क़रार दे दिया, मगर नासमझो ! तुमने यह न देखा कि जादूगर किस चरित्र व आचरण के लोग होते हैं और किन उद्देश्यों के लिए जादूगरी किया करते हैं। क्या किसी जादूगर का यही काम होता है कि निःस्वार्थ और बेधड़क एक तानाशाह शासक के दरबार में आये और उसे उसकी पथभ्रष्टता पर डांटे-डपटे और ख़ुदापरस्ती और मन की पाकी अपनाने का आह्वान करे ? तुम्हारे यहां कोई जादूगर आया होता तो (न जाने कितनी सलामियां देता, कितनी ख़ुशामदें और प्रशस्ति-गान पढ़ता और फिर अपने तमाशे दिखा लेने के बाद मांगने के लिए हाथ फैला देता)–इस पूरे विषय को केवल एक वाक्य में समेट दिया है कि जादूगर सफलता पाने वाले इन्सान नहीं हुआ करते।

76. स्पष्ट है अगर हज़रत मूसा और हारून (अलैहि॰) की अस्ल मांग बनी इसराईल की रिहाई की होती तो फ़िरऔन और उसके दरबारियों को यह आशंका व्यक्त करने की कोई ज़रूरत न थी कि इन दोनों बुज़ुर्गों के सन्देश फैलने से मिस्र की धरती का धर्म बदल जाएगा और देश में हमारे बजाय इनकी बड़ाई क़ायम हो जाएगी। उनके इस आशंका का कारण तो वही था कि हज़रत मूसा मिस्र वालों को अल्लाह की बन्दगी की ओर आह्वान कर रहे थे और इससे वह शिर्क-भरी व्यवस्था ख़तरे में थी जिस पर फ़िरऔन की बादशाही और उसके सरदारों की सरदारी और धर्मगुरुओं की गुरुवाई स्थापित थी।

(देखिये सूरा-7 (अल-आराफ़) टिप्पणी 88, सूरा-40, (अल-मोमिन), टिप्पणी 43)

77. अर्थात जादू वह न था जो मैंने दिखाया था, जादू यह है जो तुम दिखा रहे हो।



ज्ञान

● हज़रत मुआविया (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह जिस किसी के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ प्रदान करता है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ईर्ष्या (आशय है स्पर्धा से) केवल दो आदमियों के सिलसिले में की जा सकती है : एक वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने ध न दिया फिर उसको सत्य-मार्ग में लुटाने का दैवयोग प्रदान किया, और दूसरा वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने हिक्मत (तत्वदर्शिता, निर्णय-शक्ति) प्रदान की, तो वह उसके अनुसार निर्णय करता है और उसकी शिक्षा देता है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू मूसा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "जिस मार्गदर्शन और ज्ञान के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वर्षा जो धरती पर हुई, तो उस (धरती) का जो भाग अच्छा था उसने जल को ग्रहण कर लिया और हरियाली और हरी-हरी घास उग आयी और उसका जो भाग कठोर था उसने जल को रोक लिया, तो अल्लाह ने उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया । लोगों ने उससे वह जल पिया और जानवरों और खेतों को सिंचित किया और खेती-बाड़ी की और वह वर्षा भूमि के एक ऐसे भाग पर भी हुई जो चटियल है, वह न जल को रोक सकता है और न हरियाली उगा सकता है । यह मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह तआला के (उतारे हुए) दीन में समझ प्राप्त की और उस चीज़ से फ़ायदा उठाया जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो उन्होंने सीखा और सिखाया । और यह उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने न तो इस तरफ़ सिर उठाकर देखा और न अल्लाह के उस मार्गदर्शन को अपनाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत सह्ल बिन साअद (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने हज़रत अली (रज़ि॰) से कहा : "अल्लाह की क़सम, यदि अल्लाह तुम्हारे द्वारा किसी एक आदमी को सत्य-मार्ग पर लगा दे, तो यह तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से बेहतर है ।"
–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "मेरी ओर से पहुंचाओ यद्यपि एक ही आयत हो और बनी इसराईल (यहूदियों और ईसाइयों) से सुनी हुई रिवायत बयान करो, इसमें कोई दोष नहीं और जो व्यक्ति जान-बूझकर झूठी बात मुझसे जोड़े वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले ।" –बुख़ारी

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिसने सन्मार्ग की तरफ़ बुलाया उसे उन लोगों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा जो उस पर चले हों और इससे उनके सवाब में कमी नहीं की जाएगी ।" –मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

नफ़रत की मानसिकता पर रोक लगाएं

देश में सांप्रदायिकता कितनी गहरी पैठ बना रही है, इसका कुछ अंदाज़ा उस वक़्त हुआ, जब देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के बेगमपुर गांव क्षेत्र में आठ वर्षीय मदरसा छात्र मुहम्मद अज़ीम की मॉब लिंचिंग कर दी गयी ! जो विवरण मीडिया में आए, उनके अनुसार, पुलिस ने हत्या-आरोपी चार नाबालिग़ लड़कों को गिरफ़्तार कर लिया है । पुलिस अधिकारी ने बताया कि ''मदरसे के बाहर एक ख़ाली जगह है, जहां स्थानीय लड़के क्रिकेट खेलते हैं । दोनों समूहों के बीच तनाव तब पैदा हुआ, जब मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों ने सुबह के वक़्त क्रिकेट खेलने को लेकर आपत्ति की । स्थानीय लड़कों ने कथित तौर पर मदरसे में बोतल फेंकी ।'' पुलिस ने बताया कि गत 25 अक्तूबर की सुबह घटना हिंसा में बदल गयी, जिसमें आठ वर्षीय छात्र को चोट आयी । प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लड़ाई के बाद आठ वर्षीय छात्र ज़मीन पर गिर गया, जिसे पास के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । पुलिस इसे मॉब लिंचिंग नहीं मान रही है, जबकि मदरसा फ़रीदिया के सूत्र इसे मॉब लिंचिंग मानते हैं । इस घटना की चंहुओर निंदा की जा रही है, लेकिन नफ़रत के फैलते ज़हर को ख़त्म करने की कारगर शक्ल का न तलाशा जाना बेहद अफ़सोसनाक है । कभी गोमांस, गोकुशी तो कभी बच्चा चोरी की अफ़वाहों व बहानों से जान लेने का जो सिलसिला पिछले कुछ सालों से चल रहा है, उस पर रोक न लगना देश की क़ानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल पैदा करता है । यह भी इन्तिहाई अफ़सोस की बात है कि सरकार इस गंभीर समस्या के ताल्लुक़ से बेहद लापरवाह दिखती है । उसने कुछ समय पहले इससे निबटने हेतु क़ानून में बदलाव की बात कही थी, लेकिन इस सिलसिले में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया । केन्द्र सरकार लिंचिंग को दंडनीय अपराध के तौर पर घोषित करना चाहती है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (आई॰पी॰सी॰) में संशोधन भी किया जा सकता है । 22 जुलाई 18 को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया था कि एक मॉडल क़ानून का मसौदा तैयार करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है जिसे राज्य सरकारें भीड़ हत्या की घटनाएं रोकने के लिए अपना सकें । लेकिन अधिकारी ने साथ ही यह कहा कि यह सब कुछ शुरुआती चरण में है, क्योंकि केन्द्र को नया क़ानून बनाने को कहने से पहले सुप्रीम कोर्ट के समूचे आदेश का परीक्षण करने की आवश्यकता है । यदि आई॰पी॰सी॰ में संशोधन किया जाता है तो सरकार को भीड़ हत्या पर अलग से कोई क़ानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । अधिकारी ने कहा कि यदि खुद को निर्दोष साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी जाती है, तो सी॰आर॰पी॰सी॰ एवं भारतीय साक्ष्य क़ानून की कुछ धाराओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी । सरकार को इस पर अपना रुख़ तय करने में कई दिन लग सकते हैं । ऐसा भी लगता है कि सरकार के पास इसको लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है । शायद यही वह कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है ! देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा के बाद कर्नाटक में भी बच्चा चोर गिरोह की आड़ में कई लोगों की पिछले दिनों हत्याएं कर दी गयीं ।

सात सितम्बर 18 को बिहार के बेगूसराय में भीड़ ने तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी । आरोप है कि मृतक स्कूल से एक 11 वर्षीया लड़की को अग़वा करने की कोशिश कर रहे थे । बिहार में ही सासाराम ज़िले में चार लोगों ने गत 8 सितम्बर 2018 को एक महिला की जादू-टोने के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी । यह घटना अंबेडकर चौक से सटे नहर किनारे दलित बस्ती की है । पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार में से तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया था, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया । डेहरी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि विश्वनाथ राम और उनकी पत्नी माला देवी का पड़ोसी रंगबहादुर डोम, रामअवतार डोम और हीरामुनी देवी का विवाद चल रहा था । माला के बेटों का मानना था उसके माता-पिता की तबीयत पड़ोसियों द्वारा किये गये जादू-टोना के कारण ख़राब रहती है । इस पर उन्होंने पड़ोसी के परिवार के एक युवक की पिटाई की थी । इसका बदला लेने के लिए पड़ोस के चार लोगों ने माला देवी को पीटा था । उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । इस मामले में रंगबहादुर डोम, रामअवतार डोम और हीरामुनी देवी को गिरफ़्तार किया गया है । चार सितम्बर 18 को राजधानी दिल्ली में घृणा-अपराध सामने आया, जब एक किशोर की चोरी के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी । उत्तर पश्चिम दिल्ली के भलस्वा डेरी इलाक़े में मंगलवार तड़के चोरी की नीयत से घुसे नाबालिग़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी । पुलिस ने ग़ैर-इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर तीन भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया है । साथ ही किशोर के दो साथियों पर भी चोरी और अनधिकृत तौर पर घर में घुसने की धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज की है । साढ़े सोलह साल का अनस (परिवर्तित नाम) मूल रूप से बिहार के डुमरांव इलाक़े का रहने वाला था । वह एक महीने पहले अपने चाचा के पास रहने आया था । पुलिस का कहना है कि वह दो साथियों के साथ पड़ोस में रहने वाले राजकिशोर के घर में घुस गया । इसी दौरान परिवार जग गया और किशोर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गयी । पुलिस का दावा है कि राजकिशोर ने अपने भाइयों नंद किशोर और त्रिवेणी के साथ मिलकर किशोर की पिटाई कर दी । पिटाई करने वालों में पड़ोसी देशराज, संतलाल एवं सोहनलाल भी शामिल रहे । इसके बाद गंभीर हालत में किशोर को घर की बगल वाली गली में फेंक दिया गया । सुबह क़रीब 6 बजे किसी ने किशोर को गली में पड़े देखा तो पुलिस को सूचना दी । घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस ने ग़ैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज करते हुए तीन आरोपियों-नन्द किशोर, राज किशोर और त्रिवेणी को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य फ़रार हैं । परिजनों ने बताया कि अनस को दिल्ली में पढ़ाई के लिए भेजा था । उसका दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाख़िला कराने की तैयारी चल रही थी । साथ ही किसी फैक्ट्री में उसे काम सीखने को लगवाया गया था । दिल्ली पहले भी ऐसे अपराधों से कलंकित हो चुकी है । इसी वर्ष विगत 13 जुलाई 2018 को बुराड़ी में युवक की चोरी के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी । 12 जनवरी 2018 को बवाना में चोरी के आरोप में युवक को पीट-पीटकर मार डाला गया था । 24 जून 2018 को सब्ज़ी मंडी रेलवे स्टेशन पर युवक की पीटकर हत्या कर दी गयी थी । कर्नाटक के बीदर ज़िले में बच्चा चोरी के शक में विगत 13 जुलाई 18 को चार युवकों पर भीड़ ने हमला बोल दिया जिनमें मुहम्मद आज़म अहमद (32 वर्ष) की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी । मुहम्मद आज़म गूगल की हैदराबाद शाखा में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे । आई०टी० कंपनी में काम करने वाले एक शख़्स के साथ ऐसी ही एक घटना कुछ समय पहले भी हो चुकी है । लगभग चार वर्ष पहले चार जून 2014 को पुणे

(महाराष्ट्र) स्थित आई॰टी॰ कंपनी में काम करने वाले 28 वर्षीय अधिकारी मुहसिन मुहम्मद सादिक़ शेख़ की हिन्दू राष्ट्र सेना के तीस-चालीस हिंसकों ने शहर के उन्नति नगर में पीट-पीटकर उस समय हत्या कर दी थी, जब वे नमाज़ पढ़कर लौट रहे थे । एक फेसबुक पोस्ट को बहाना बनाकर यह हत्या की गयी थी, जबकि कहा जाता है कि उससे सादिक़ शेख का कोई संबंध नहीं था । इस बीच असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में इस साल जून में भीड़ द्वारा दो लोगों की सनसनीखेज हत्याओं के मामले में असम पुलिस ने गत एक सितम्बर 18 को 48 आरोपियों के ख़िलाफ़ 844 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है । असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों की इच्छा के अनुरूप इस बर्बर कृत्य के मुक़दमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की घोषणा की थी । सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख़्ती का रुख़ अपनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने विगत सात सितम्बर 18 को देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ताकीद की है कि वे भीड़ की हिंसा पर कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन करें । कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को संसद से कहा था कि भीड़ द्वारा लोगों की पीट-पीटकर हत्या करने की घटनाओं से प्रभावी तरीक़े से निबटने के लिए एक विशिष्ट क़ानून बनाए, जिसमें सख़्त सज़ा का प्रावधान हो, ताकि ऐसे अपराधियों में क़ानून का डर पैदा हो । अदालत ने केन्द्र को भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए । मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, ए॰एम॰ खानविलकर और डी॰वाई॰ चन्द्रचूड़ की पीठ ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जाने वाली हिंसा से निबटने के लिए सख़्त प्रावधान करने के निर्देश दिए । पीठ ने कहा, नागरिक क़ानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते । भीड़ तंत्र की इन ख़तरनाक गतिविधियों को नया सामान्य चलन नहीं बनने दिया जा सकता । अदालत ने कहा कि क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्यों का काम है । राज्य ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते । अशांति और अराजकता के माहौल में राज्य को ज़िम्मेदारी से कार्रवाई करनी चाहिए । पीठ ने कहा कि जब भी कोई समूह किसी विचार के साथ क़ानून को अपने हाथों में लेता है तो इससे अराजकता, अशांति और अव्यवस्था पैदा होती है तथा हिंसक समाज का जन्म होता है । ऐसा होने से रोकना होगा ।



Since 1980

action

Campus
Jiyo Zindagi Yaaron

RED CHIEF

मारूफ़ शू पैलेस

G.E. Road, Charoda, Distt.-Durg (C.G.), Ph. : 9906033786, 08959791786

आपके शहर में अतुल का भव्य शो-रूम

ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा माईलेज, ज़्यादा ताक़त, ज़्यादा मुनाफ़ा

मारूफ़ मोटर्स के अधिकृत विक्रेता

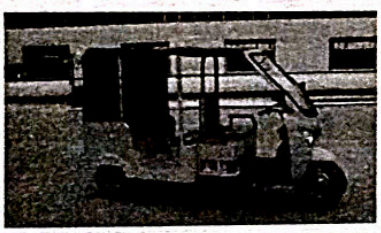

ATUL

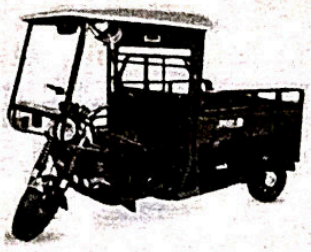

मेन ब्रांच : पंचशील नगर (पश्चिम), रेल नगर के सामने जी॰ई॰ रोड, चरोदा-भिलाई, मोबा॰ : 0788-6544786

ईंधन
जो बनाए ज़िन्दगी

go gas™

अधिकृत विक्रेता

मारूफ़ गैस

तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध



वाजिब दरों तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध घरेलू-व्यावसायिक एवं औद्योगिक

मेन ब्रांच : पंचशील नगर (पश्चिम),
रेल नगर के सामने जी॰ई॰ रोड, चरोदा-भिलाई,
मोबाइल : 0788-6998786, 9406092786, 9691492786

सोशल मीडिया का महत्व

सोशल मीडिया वर्तमान समय में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है । अभिव्यक्ति का सरल सशक्त और लोकप्रिय माध्यम बन गया है । इसके सबल पक्ष भी हैं तो कुछ दुर्बल पक्ष भी । अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं । हम शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने, जागरूकता फैलाने, समसामयिक गतिविधियों को प्रसारित करने या फिर किसी आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान भी कर पाते हैं ।

सोशल मीडिया विशेषकर व्हाट्स एप्प, फ़ेसबुक, ट्विटर द्वारा विद्वेष, घृणा, सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले जैसे संदेशों पर सरकार द्वारा नियंत्रण करने की मंशा अगर वाक़ई सच है, तो सराहनीय कही जाएगी परंतु इसमें संदेह नज़र आता है, क्योंकि अधिकांश पार्टियां ऐसे मुद्दों का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने में कोई क़सर नहीं छोड़ती है । सर्व विदित है कि अक्सर राजनीतिक दल और संगठन अब आई॰टी॰ सेल स्थापित कर आमजनों के बीच भ्रामक संदेश भेजकर दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास करते हैं । युवा पीढ़ी इससे प्रभावित भी हो जाते हैं । टी॰वी॰ चैनल पर इन दिनों "वायरल सच" से जुड़ी कार्यक्रम का इज़ाफ़ा हुआ है ताकि लोगों को तथ्यों की सटीक जानकारी मिल सके ।

अमर्यादित भाषा जिसे समाज में हीन दृष्टि से लिया जाता है, उसे लोग गर्व से परोसकर देश की संस्कृति को नुक़सान पहुंचा रहे हैं । वैचारिक मतभेद को जबरन थोपना और स्वीकार न करने की स्थिति में मनभेद और कलह स्थापित कर लेना सामान्य-सी बात हो गयी है । राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए अब ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि आई॰टी॰ सेल के धुरंधरों ने उनका काम आसान कर दिया है ।

इन सबके बीच सोशल मीडिया की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है । ऐसे समय में जबकि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेड न्यूज़, फेक न्यूज़ के भंवर से ख़ुद को बचा पाने में असहाय महसूस कर रही हो तथा उनकी निष्पक्षता पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही हो । आमजन सोशल मीडिया को एक विकल्प के रूप में देख रही है । नि:संदेह सोशल मीडिया आमजनों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है परंतु इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं । एक ओर जहां सोशल मीडिया की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली संस्था और सरकार इस पर पैनी नज़र रखे वहीं हम सभी को भी इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने में दृढ़तापूर्वक सहयोग करना होगा । तभी यह अपने उद्देश्यों में सार्थक हो पाएगी ।

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है । प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है । किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जा सकता । मीडिया जहां सरकार के ग़लत नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता है वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजनों को अवगत भी कराता है । जनतंत्र में लोग इसी के सहारे अपनी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं । देश में सत्तारूढ़ पार्टियां हमेशा प्रेस को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करतीं हैं परन्तु निर्भिक और निष्पक्ष कलमवीर निरंतर संघर्ष करते हुए अपनी दायित्वों के निर्वाहन और स्वाभिमान की रक्षा करने में सफल रहे हैं ।

सत्ता को सच का आईना दिखाना मीडिया की नियति रही है परंतु वर्तमान दौर में मीडिया का स्वामित्व अधिकांशत: कार्पोरेट के हाथों में है जो उन्हें जन सरोकार के मुद्दे उठाने की अपेक्षा सत्ता के पैरोकार बना रहे हैं ।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की विफलताओं, झूठे दावों का पोल खोलने एवं सत्ता से असहमति रखने वाले पत्रकारों को चैनलों से हटाने और अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करने की ख़बरें मिल रही हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है । जहां लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हर सरकारों का दायित्व है कि पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान का ख़याल रखे वहीं प्रेस की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने में जनसहयोग भी आवश्यक है ।

मंज़र आलम
छात्र, नालंदा खुला विश्वविद्यालय,
पटना (बिहार)

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

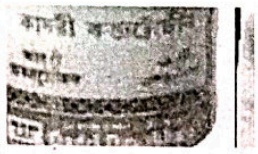

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گٹھیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن

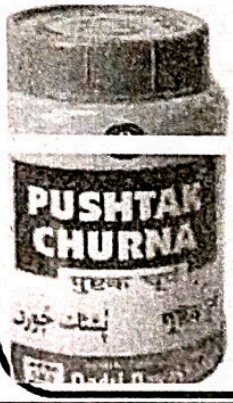

جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰)

■ माइल ख़ैराबादी

हज़रत ख़न्सा अरब की मशहूर मरसिया (शोक गीत) लिखने वाली शायरा गुज़री हैं । उन्होंने जाहिलियत का ज़माना भी देखा और फिर मुसलमान होकर इस्लामी हुकूमत और इस्लामी शिक्षाओं की बरकतें भी देखीं । उनकी जाहिलियत की ज़िन्दगी और इस्लामी ज़िन्दगी पर नज़र डालने से साफ़ पता चलता है कि इन्सान के अक़ीदे बदलने के बाद उसके अन्दर कितना ज़बरदस्त इन्क़िलाब आता है और फिर इसी से इस्लामी और ग़ैर-इस्लामी ज़िन्दगी का नुमायां फ़र्क़ हमारे सामने आ जाता है और हम इस नतीजे पर आसानी से पहुंच जाते हैं कि इस्लामी तालीम की वजह से एक इन्सान कितना धैर्यवान और कृतज्ञ हो जाता है । नीचे हम हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) की ज़िन्दगी के दोनों रुख़ बहुत ही संक्षेप में पेश करते हैं–

हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) के मुसलमान होने से पहले का वाक़िया है । उनके दो भाई थे । एक का नाम मुआविया और दूसरे का सख़र था । ये दोनों ख़न्सा को बेहद प्यारे थे । इन्हें दोनों से मुहब्बत थी लेकिन सख़र के इल्म, उसकी सख़ावत, बहादुरी और दूसरी ख़ूबियों ने ख़न्सा को ज़्यादा प्रभावित कर रखा था ।

जाहिलियत के ज़माने में अरब के अन्दर क़बीलों के बीच आये दिन तलवारें चला करती थीं । एक बार क़बीला बनी असद और उनके क़बीले में ठन गयी । घमासान की लड़ाई हुई । उनका एक भाई मुआविया इस लड़ाई में मारा गया और दूसरा भाई दुश्मन के नेज़े से ज़ख़्मी होकर घर पर आकर पड़ गया । एक भाई (मुआविया) के ग़म की मारी बहन ने दूसरे भाई को मौत से बचाने के लिए अपनी सेहत की परवाह न की । दिल व जान से उसकी तीमारदारी में लग गयीं । लेकिन सख़र की ज़िन्दगी के दिन पूरे हो चुके थे वे बच न सके और पूरे एक साल तक बहन से तीमारदारी की ख़िदमत लेकर इस दुनिया से चल बसा । इस हादसे ने बहन को दीवाना बना दिया । ख़न्सा दिन-रात भाई की याद में रोयीं । वे एक बहुत ही फ़सीह व बालीग़ शायरा थीं । भाई की याद में मरसिए उनकी ज़बान पर जारी हो गये । इन मरसियों को वे आम मज़मों में दिल की गहराई के साथ पढ़तीं । ख़ुद रोतीं और सुनने वालों को रुलातीं । वे अपने भाई की याद में रोते वक़्त अपना सीना पीटतीं, सर को पत्थरों से टकरातीं, अपने कपड़े फाड़तीं और ऐसे दर्दनाक अंदाज़ में गिराया करतीं कि दुश्मनों को उन पर तरस आने लगता ।

हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) के ये मरसिए अरबी अदब की जान समझे जाते हैं । आज भी अरबी अदब में इन मरसियों का स्थान बहुत ऊंचा समझा जाता है । अब के तमाम नामवर शायरों ने हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) को मरसियों का बादशाह तस्लीम किया है ।

इसके बाद एक दिन वह भी आया कि वे अपने क़बीले के प्रतिनिधिमंडल के साथ नबी करीम (सल्ल॰) की ख़िदमत में आयीं और मुसलमान हो गयीं । उनसे अशआर सुनाने की फ़रमाइश की गयी वे देर तक अशआर सुनाती रहीं । ख़ुद नबी करीम (सल्ल॰) से बढ़कर उस वक़्त फ़सीह व बलीग़ कौन था ? लेकिन हुज़ूर (सल्ल॰) भी हज़रत ख़न्सा की फ़साहत व बलाग़त पर ताज्जुब का इज़हार फ़रमाते रहे ।

हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के बाद मदीना आया करती थीं । वे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि॰) की ख़िदमत में हाज़िरी देतीं । हज़रत आइशा (रज़ि॰) उनके मरसिए सुनतीं और सब्र की नसीहत करतीं ।

हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰), हज़रत उमर (रज़ि॰) की ख़िलाफ़त के ज़माने में भी आया करती थीं । हज़रत उमर (रज़ि॰) के एक भाई ज़ैद बिन ख़त्ताब (रज़ि॰) बहुत नेक और परहेज़गार बुज़ुर्ग थे । उनके तक़वा की वजह से हज़रत उमर (रज़ि॰) उनको बहुत महबूब रखते थे । वे एक लड़ाई में शहीद हो गये तो हज़रत उमर (रज़ि॰) को बड़ा सदमा हुआ । हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आयीं । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उनसे ज़ैद का मरसिया लिखने के लिए कहा । इसके जवाब में हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) ने बहुत ही फ़सीह व बलीग़ और बहुत सच्ची बात

कही । उन्होंने कहा–

"ख़ुदा की क़सम ! मैं सख़र और मुआविया पर हरगिज़ न रोती अगर उनकी मौत ज़ैद की तरह होती ।"

यह सुनकर हज़रत उमर (रज़ि॰) भड़क उठे, फ़रमाया, 'ख़न्सा से बेहतर मेरे भाई की शोक संवेदना किसी ने नहीं की ।'

बात साफ़ है ! हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) के दोनों भाई कुफ़्र की हालत में मारे गये थे और हज़रत ज़ैद (रज़ि॰) ने शहादत पायी थी ।

देखा आपने ! अब तो हज़रत ख़न्सा ने इस्लाम क़बूल करके आख़िरत की कामयाबी को अपनी ज़िन्दगी का नस्बुलऐन बनाया तो अब वे अपने भाइयों के लिए क्या रोना रोतीं हैं । इस आख़िरत की कामयाबी की नसीहत वे अपनी औलाद को किया करती थीं और उन्हें शहादत के लिए उकसाया करती थीं ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) की ख़िलाफ़त के ज़माने में क़ादसिया की जंग बड़ी मशहूर जंगों में से एक है । एक जंग में हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) अपने चार जवान बेटों के साथ शरीक हुईं । इस लड़ाई में मुसलमान लश्कर के सिपहसालार मशहूर सहाबी हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि॰) थे । एक दिन उन्होंने फ़ैसलाकुन जंग का इरादा किया । जिस दिन उन्होंने फ़ैसलाकुन जंग का इरादा किया उस दिन हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) ने अपने बेटों को जिन शब्दों में ख़िताब किया, उनका अनुवाद हम नीचे देते हैं । किस क़दर जोशीला और फ़सीह व बलीग़ है यह ख़ुत्बा । फ़रमाया–

"मेरे प्यारे बेटो ! तुम अपनी ख़ुशी से मुसलमान हुए और अपनी मर्ज़ी से तुमने हिजरत की । क़सम है हमेशा रहने वाले ख़ुदा की जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं । जिस तरह तुम अपनी एक मां के पेट से पैदा हुए इसी तरह तुम अपने एक ही बाप के सगे बेटे हो । मैंने तुम्हारे बाप से बेईमानी नहीं की और न तुम्हारे मामू को रुसवा किया । तुम्हारा लक़ब बेदाग़ है और तुम्हारे ख़ानदान में कोई ऐब नहीं है ।

ऐ बेटो ! तुम जानते हो कि मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ़ से जिहाद करने का बड़ा सवाब है । तुम इसको अच्छी तरह जान लो और ख़ूब समझ लो कि हमेशा रहने वाली आख़िरत के मुक़ाबले में यह मिट जाने वाली दुनिया कुछ भी तो नहीं । अल्लाह सूरह आले इमरान में फ़रमाता है–'मुसलमानो ! इन तकलीफ़ों को जो अल्लाह की राह में तुमको पेश आएं बर्दाश्त करो और एक-दूसरे को सब्र की नसीहत करो और आपस में मिलकर रहो और अल्लाह से डरो ताकि (आख़िरत में) अपनी मुराद को पहुंचो ।'

तो ऐ बेटो ! जब तुम देखो कि घमासान का रण पड़ा और जंग के शोले भड़कने लगे और उसके अंगारे लड़ाई के मैदान में बिखर गये तो दुश्मन की फ़ौजों में घुस जाओ और बेदरेग़ तलवार चलाओ और अल्लाह से मदद और कामरानी की दुआ करते रहो । अल्लाह ने चाहा तो आख़िरत के दिन शर्फ़ पाओगे और काम्याब होगे ।"

हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) के चारों बेटे अपनी मां की नसीहत के मुताबिक़ जोश में भरे हुए काफ़िरों के लश्कर पर हमलावर हुए । लड़ाई पूरे शबाब पर थी । वे दुश्मन की फ़ौज में घुस गये । बहुत देर तक बहादुरी के साथ लड़ते रहे । आख़िर एक-एक करके शहीद हो गये । उनकी शहादत की ख़बर हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) ने सुनी तो कहा–

"ख़ुदा का शुक्र है कि उसने मेरे बेटों को शहादत का दर्जा अता फ़रमाया । मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों से अल्लाह की रहमत के साए में मुलाक़ात करूंगी ।" और फिर सब्र इख़्तियार फ़रमाया ।

यह वही ख़न्सा (रज़ि॰) हैं जो अपने भाई की वफ़ात पर दीवानी हो रही थीं और अब अपने जिगर गोशों की मौत पर फ़ख़्र का इज़हार कर रही हैं । इस्लाम की तालीम और ईमान के तक़ाज़ों ने क्या से क्या बना दिया हज़रत ख़न्सा (रज़ि॰) को ।

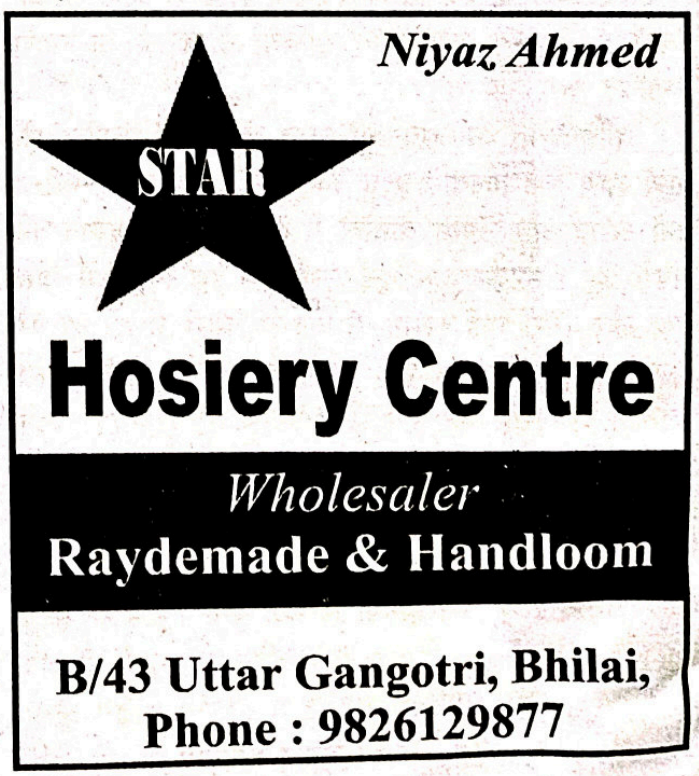

इस्लाम की जीवन-व्यवस्था

■ डॉ॰ फ़रहत हुसैन

इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक पूर्ण जीवन व्यवस्था (Complete System of Life) रखता है । मनुष्य के जीवन के जितने भी अंग और अनुभाग हो सकते हैं उनके संबंध में उचित सिद्धांत नियम, उपनियम बताता है । पवित्र कुरआन और फिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा उसकी आधिकारिक व्याख्या और इन दोनों को आधार बनाकर व्यावहारिक क्रियान्वयन इस धरती पर स्वयं हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा किया जाना, मानवता के लिए वरदान है । यह जीवन-व्यवस्था मानव स्वभाव के अनुकूल है, अत्यंत संतुलित एवं मध्यमार्गी है । इन्सान की आत्मा और उसके भौतिक जीवन दोनों को एक साथ संतुष्ट करती है और प्रकृति से समन्वित होकर कार्य करती है । यहां अत्यंत संक्षेप में उसकी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला जा रहा है ।

1. इस्लाम की नैतिक व्यवस्था

सभी धर्मों और पंथों में नेकी-बदी, अच्छाई-बुराई का विचार पाया जाता है । इस्लाम भी उन्हीं को मान्यता देता है । सत्य, न्याय, वचन पालन, कर्तव्यपरायणता को अच्छे गुणों में सम्मिलित किया गया है । आपसी सहयोग अनुशासन, संयम, धैर्य, बहादुरी, प्रशंसनीय माने गये हैं । झूठ, धोखेबाज़ी, चोरी, डकैती, अत्याचार, व्यभिचार, घूस, दोषारोपण आदि की मनाही की गयी है । मगर नैतिकता के क्षेत्र में इस्लाम का विशिष्ट योगदान चार बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है–

1. इस्लाम ने जीवन के प्रत्येक भाग में नैतिकता को अनिवार्य किया । व्यक्तिगत क्रियाकलाप, पारिवारिक गतिविधियां, सामाजिक व्यवस्था, लेन-देन के मामले शासन-प्रशासन और राजनीति यहां तक कि रणभूमि में भी सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और उदारता को हाथ से न जाने देने के निर्देश दिए ।

2. नैतिकता पर चलना आसान कार्य नहीं है । इसके लिए ईश प्रसन्नता और आख़िरत का इनाम या यातना को लोगों के मन-मस्तिष्क में बैठाया । ईशभय और परलोकवाद के कारण ही किसी बाहरी दबाव की अनुपस्थिति में भी मनुष्य नैतिकता के कठिन रास्ते पर चल सकता है । अगर परलोक की जवाबदेही पर ईमान न हो तो आदमी अधिक समय तक सच्चाई के उसूलों व सिद्धांतों पर नहीं चल सकता, किसी न किसी मोड़ पर वह हिम्मत हार जाता है ।

3. मुस्लिम समुदाय पर दायित्व डाला गया कि वे संगठित प्रयास करके नेकी को फैलाएं और बुराई को रोकें, क्योंकि नैतिकता किसी का निजी मामला नहीं है । यह समाज के सामान्य वातावरण के बनने या बिगड़ने से जुड़ा है ।

4. समाज के ऐसे तत्व जो अधिक बिगड़े हुए हों और शराफ़त की भाषा उन पर बेअसर हो तो समाज को उनकी गन्दगी से बचाने के लिए और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए दंड संहिता मौजूद है, जो अंतिम अस्त्र के रूप में ही इस्तेमाल होगी ।

2. इस्लाम की राजनैतिक व्यवस्था

इस्लाम के अनुसार अस्ल सत्ता अल्लाह की है । मनुष्य धरती पर उसका प्रतिनिधि है, इसलिए ईश-प्रदत्त नियमों के अंतर्गत जनता के विश्वास पात्र ख़लीफ़ा (इस्लामी शासक) जनता ही के विश्वास पात्र सलाहकार परिषद के परामर्श से व्यवस्था देखेंगे । यह व्यवस्था निष्पक्षता से काम करेगी, सभी नागरिक समान होंगे, न्यायपालिका राजनैतिक व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि आज़ाद होगी । एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी । राज्य के कोषागार से ग़रीब, विधवा, अपंग और असहाय की पूरी देखभाल की जाएगी । जनता के अविश्वास मत पर ख़लीफ़ा को हट जाना होगा । ख़लीफ़ा, सलाहकार परिषद और जनता सब ईश्वर के समक्ष जवाबदेह हैं । कुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाओं के विपरीत कोई क़ानून बनाने का अधिकार नहीं है । (उदाहरणस्वरूप सर्वसम्मति से भी शराब जायज़ करने का क़ानून नहीं बन सकता क्योंकि यह कुरआन द्वारा वर्जित है ।) हां वर्तमान नये प्रकरणों में जिनका पहले से प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है इस्लामी स्पिरिट के मद्देनज़र क़ानून बनाए जा सकते हैं । यह व्यवस्था भ्रष्टाचार, पक्षपात, अन्याय, शोषण से पाक होगी । मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण होगा । दूसरे धर्मों के मानने वालों के जान-माल की रक्षा की जाएगी । उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं होगा। इस व्यवस्था का व्यावहारिक आदर्श रूप इतिहास के पन्नों में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और प्रथम चार ख़लीफ़ाओं हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰), हज़रत उमर (रज़ि॰), हज़रत उस्मान (रज़ि॰) और हज़रत अली (रज़ि॰) के काल में देखा जा सकता है ।

3. इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था

इस्लाम परिवार को बहुत महत्व देता है क्योंकि यह समाज रूपी इमारत की ईंट है । परिवार स्त्री-पुरुष के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रिश्ते अर्थात विधिवत विवाह द्वारा बनेगा। अवैध संबंध या व्यभिचार सिद्ध होने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । परिवार का मुखिया पुरुष होगा क्योंकि यह अनुशासन के लिए ज़रूरी है । स्त्री परिवार में बहुत सम्मानित और आदर योग्य है ।

संतान का कर्तव्य है कि वे मां-बाप का आज्ञापालन करें उनकी सेवा करें । सेवा में माता को वरीयता दी गयी है, क्योंकि वह बच्चों को पैदा करने और उनका पालन-पोषण करने में कष्ट सहती है । बेटों को बेटियों पर वरीयता नहीं दी जाएगी । बेटियों के पालन-पोषण पर उसे जन्नत की ख़ुशख़बरी है । निकाह के समय लड़की की सहमति ली जाएगी । उसे महर की रक़म प्राप्त करने का अधिकार होगा । माता-पिता पर संतान में अच्छे संस्कार डालने और उनकी शिक्षा-दीक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छे समाज का निर्माण कर सके । वे अच्छे नागरिक, अच्छे इन्सान और अच्छे मुसलमान बनकर जीवन व्यतीत करें । पति-पत्नी के संबंध इतने बिगड़ जाएं कि समझौते के सभी प्रयास असफल हो जाए तो तलाक़ की इजाज़त दी गयी है ।

4. इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था

इन्सान सामूहिक जीवन बिताने पर विवश है, इसलिए समाज में हमदर्दी, भाईचारा, एक-दूसरे पर विश्वास, अमन-चैन का वातावरण ज़रूरी है । इस्लाम के अनुसार सभी इन्सान आपस में भाई-भाई हैं, क्योंकि वे एक ही जोड़े की संतान हैं । उनमें रंग, नस्ल, भाषा, जाति और धन-संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता । इसलिए नमाज़ में सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के निर्देश हैं । हज में सब एक समान वस्त्र में पूरी दुनिया के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं ।

स्त्री-पुरुष का रिश्ता केवल विवाह से माना गया है । आज़ाद यौन संबंधों के कारण परिवार टूटते हैं समाज दूषित होता है, इसलिए इस्लाम में इन पर कड़े दंड का प्रावधान है चाहे ये संबंध आपसी रज़ामन्दी से ही क्यों न हों । पड़ोसी से चाहे वह जिस वर्ग या धर्म का हो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य है । समाज के अच्छे कामों में मुसलमान को सहयोग पर उभारा गया । ज़ुल्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना तथा न्याय-स्थापना का प्रयास करना ज़रूरी है । अपना समुदाय यदि अन्याय पर हो तो उसका साथ देने से रोका गया है । इस्लाम सभी नैतिक सिद्धांतों को समाज में प्रचलित देखना चाहता है ।

5. इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था

इस्लाम आर्थिक जगत में भी नैतिकता का पक्षधर है । अर्थव्यवस्था के अच्छे होने का मापदंड उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि यह है कि समाज के आख़िरी आदमी (Marginal Citizen) की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों । इस व्यवस्था में हर प्रकार का ब्याज वर्जित है क्योंकि यह मानवता विरोधी और अन्यायपूर्ण है । जो लोग अपने धन का निवेश (Invesment) चाहते हैं वे लाभ और हानि दोनों में सम्मिलित हों अर्थात जोखिम वहन करें । जब संसार में किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान शत-प्रतिशत संभव नहीं तो पूंजीपति के धन पर ब्याज दर के पूर्व निर्धारण का क्या औचित्य है । यह और कई अन्य कारणों से इस्लाम ब्याज को पूर्णरूपेण वर्जित घोषित करता है ।

जुआ, लॉटरी, सट्टा और समाज को बिगाड़ने वाले सभी कारोबार जैसे शराब, अश्लीलता फैलाने वाले मनोरंजन प्रतिबंधित हैं । मालदार से उनके जमा धन पर ढाई प्रतिशत ज़कात (अनिवार्य दान) वसूल करके उससे ग़रीब की आवश्यकता पूरी करने का अनुपम प्रबंध किया गया है । अनिवार्य योगदान (ज़कात) के अतिरिक्त धनवान मुसलमानों को प्रेरित किया गया है कि वे स्वेच्छा से दान-पुण्य के द्वारा समाज में कमज़ोर वर्ग की सहायता में सतत प्रयत्नशील रहें। फ़ज़ूलख़र्ची और अनावश्यक दिखावे पर पाबन्दी है ताकि धन के अपव्यय को रोककर समाज के वंचित वर्ग की मदद की जाए । आर्थिक अपराध जैसे जमाख़ोरी, ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाज़ारी), मिलावट, नाप-तौल में हेराफेरी पर कड़ी

सज़ा का प्रावधान है । मरने के बाद जायदाद पुत्र, पुत्रियों तथा अन्य उत्तराधिकारियों में वितरित की जाएगी जिससे धन के केन्द्रीयकरण में कमी आएगी । इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार मज़दूर की मज़दूरी और कर्मचारी का वेतन पहले तय करके समय से भुगतान करना होगा ।

6. इस्लाम की क़ानूनी व्यवस्था

इस्लाम ने हर क्षेत्र के क़ानून की रूप रेखाएं निर्धारित की हैं जो क़ुरआन और ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षा और व्यवहार से उद्धृत हैं । इन सीमाओं के अंतर्गत नयी चुनौतियों के प्रस्तुत होने पर विस्तृत नियम बनाए जा सकते हैं । यह नियम, क़ानून सदा के लिए और हर स्थान के लिए प्रासंगिक हैं । इस क़ानून का लोगों के मन में सम्मान होता है क्योंकि यह ईश प्रदत्त प्रणाली का अंग है । इस क़ानून के मुख्य प्रकार ये हैं ।

दंड संहिता : चोरी, व्यभिचार, दोषारोपण, झूठी गवाही, शराब, रिश्वत पर कड़े दंड का प्रावधान, जिससे बिगड़े हुए लोग भी अपराध करते हुए डरें ।

पारिवारिक : निकाह, तलाक़, विरासत संबंधी नियम ।

नागरिक : माल, इज़्ज़त आबरू की रक्षा, किसी को हीन समझ कर मज़ाक़ न उड़ाना, किसी को बुरे नाम से न पुकारना, पीठ पीछे किसी की बुराई न करना, बदगुमानी (कुधारणा) न करना आदि के नियम ।

श्रम : मज़दूरी पहले तय करना, पसीना सूखने से पहले (अर्थात शीघ्र) मज़दूरी देना, मज़दूर पर उसके सामर्थ्य से अधिक काम न डालना, मज़दूर तथा कर्मचारी अमानत में ख़यानत नहीं करेगा और काम चोरी नहीं करेगा ।

आर्थिक : सभी अनुबंध लिखित या गवाही से होंगे । ब्याज की मनाही, जुआ, सट्टा, लॉटरी भी प्रतिबंधित । मिलावट, जमाख़ोरी, नाप-तौल में हेरा-फेरी पर सज़ा । क्रय-विक्रय संबंधी नियम, कृषि भूमि के उपज की बटाई, साझेदारी के सिद्धांत, उधार लेन-देन के तरीक़े आदि ।

इसके अतिरिक्त युद्ध, संधि और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम-क़ानून भी उपलब्ध हैं ।

7. इस्लाम की आध्यात्मिक व्यवस्था

इस्लाम जीवन को आध्यात्मिक और सांसारिक विभागों में नहीं बांटता, बल्कि उसके अनुसार इन्सान की रूहानी (आध्यात्मिक) उन्नति का मार्ग संसार से होकर गुज़रता है, इसलिए संसार त्यागने की अनुमति नहीं । पालनहार की दासता स्वीकारना आत्मा की मांग है । इसके लिए नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज इबादत व उपासनाएं हैं । मगर अस्ल काम तो यह परीक्षा पास करना है कि बाज़ार में, आफ़िस में घर परिवार में, अदालत में आप ईश्वर के आज्ञापालक हैं, वहां ईमानदारी, कर्तव्य परायणता से कार्य करते हैं ? यदि हां तो आप आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं अन्यथा नहीं । मस्जिद में आज्ञाकारी और बाहर आकर अवज्ञा, इस दोग़लेपन की इजाज़त इस्लाम नहीं देता । आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हों उसके बताए मार्ग पर व्यवहारत: चलें । अपने आपको ईश्वर के समक्ष विचार में भी और आचरण में भी जितना अधिक समर्पित करते चले जाएंगे उतने ही आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे ।

उपरोक्त संक्षिप्त चर्चा से स्पष्ट है कि इस्लाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियम-क़ानून रखता है । मूलाधारों को अपरिवर्तित रखते हुए नयी चुनौतियों के लिए उनमें पर्याप्त लचीलापन पाया जाता है । दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अन्य जीवन व्यवस्थाओं के नियम-क़ानूनों की तुलना में इस्लामी व्यवस्था का आधार अत्यंत मज़बूत है । अन्य क़ानूनों के पीछे सामाजिक दबाव या शासन, प्रशासन के भय के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं होती, जबकि इस्लाम इन नियमों के पालन पर ईश-प्रसन्नता और पारलौकिक पुरस्कार तथा इन्हें तोड़ने पर आख़िरत (परलोक) की पकड़ के विश्वास द्वारा एक सुदृढ़ क्रियान्वयन शक्ति प्रदान करता है जो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है ।

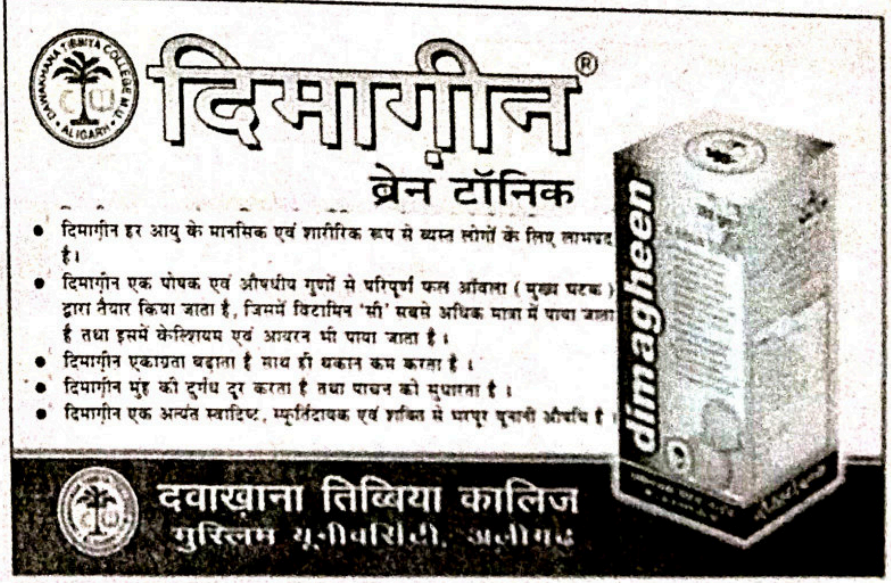

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श

हज़रत मुहम्मद(स०) जीवन और संदेश	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	16.00
प्यारे नबी कैसे थे?	इरफ़ान ख़लीली	28.00
हमारे हुज़ूर (सल्ल०)	इरफ़ान ख़लीली	35.00
प्यारे नबी ऐसे थे !	माइल ख़ैरावादी	14.00
जीवनी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मु० इनायतुल्लाह सुब्हानी	138.00
रह्मतुल-लिल-आलमीन	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
विश्व-नायक	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	36.00
विश्व-नेता हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
हज़रत मुहम्मद : एक संक्षिप्त परिचय	डॉ० मुहम्मद अहमद	10.00
हज़रत मुहम्मद एक महान समाज सुधारक	प्रो० मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन अहमद	14.00
हज़रत मुहम्मद का आदर्श	श्री नाथूराम	28.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल० का संदेश	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
आख़िरी नबी (सल्ल०)	हमूदा अब्दुल आती	06.00
अल्लाह के रसूल का व्यावहार अपने शत्रुओं के साथ	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	15.00
क्रान्ति-दूत हज़रत मुहम्मद सल्ल०	नईम सिद्दीकी	90.00

MMI PUBLISHERS

D-307,Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave
Jamia Nagar New Delhi-110025
Phone:26981652,26984347 Mob: 7290092401
E-mail:info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com
Website:www.mmipublishers.net

समाज में तिरस्कृत वरिष्ठजन ?

■ सुधीर कुमार

देश में औद्योगीकरण और नगरीकरण के विस्तार के साथ परिवार के मूल स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं । शहरों में एकल परिवार का ही बोलबाला है । हालांकि अब गांव भी समाजीकरण की इस प्रक्रिया से अछूते नहीं रह गये हैं । एक तरफ़ जहां, आज की कथित आधुनिक पीढ़ी परंपरागत पालन-पोषण, बुज़ुर्ग सदस्यों के प्यार-दुलार और सामाजिक मूल्यों-संस्कारों से दूर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ़ एकल पारिवारिक व्यवस्था ने बुज़ुर्गों को एकाकी जीवन जीने को विवश किया है ।

देश में बुज़ुर्गों का एक तबक़ा ऐसा भी है जो या तो अपनें घरों में तिरस्कृत व उपेक्षित जीवन जी रहा है, या फिर वृद्धाश्रमों में अपनी ज़िन्दगी बेबसी के साये में बिताने को मजबूर है । समाज में बुज़ुर्गों पर होने वाले मानसिक और शारीरिक अत्याचार के तेज़ी से बढ़ते मामलों ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं । परिजनों से लगातार मिलती उपेक्षा, निरादर भाव और सौतेले व्यवहार ने वृद्धों को काफ़ी कमज़ोर किया है । बुज़ुर्ग जिस सम्मान के हक़दार हैं, वह उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है । यही उनकी पीड़ा की मूल वजह है ।

दरअस्ल, देश में जन्म दर में कमी आने और जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि की वजह से वृद्धों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है । लेकिन दूसरी तरफ़ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, समुचित देखभाल के अभाव और परिजनों से मिलने वाली उपेक्षा की वजह से देश में बुज़ुर्गों की स्थिति बेहद दयनीय हो गयी है । भारत इस वक़्त दुनिया का सबसे युवा देश है । यहां युवाओं की तादाद पैंसठ फ़ीसद है । लेकिन बीतें दिनों अमेरिका के जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो द्वारा किये गये एक अध्ययन के मुताबिक़ वर्ष 2050 तक आज का युवा भारत तब 'बूढ़ा' हो जाएगा । उस समय देश में पैंसठ साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या तीन गुना बढ़ जाएगी । सवाल यह है कि क्या तब हम अपनी 'वृद्ध' जनसंख्या के समुचित देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था कर पाएंगे ?

'ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स' की 2015 की रिपोर्ट में छियानवे देशों की सूची में भारत को इकहत्तरवें स्थान पर रखा गया था । इससे ज़ाहिर होता है कि वृद्धों को स्वास्थ्य, शिक्षा, धन और सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराने के मामले में भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है । कुछ समय पहले देश के तेईस शहरों में कराये गये सर्वेक्षण में जो नतीजे सामने आये, वे भी चौंकाने वाले हैं । शोध के अनुसार भारतीय घरों में कई तरीक़ों से बुज़ुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है । इनमें परिजनों द्वारा अपमान, गाली-गलौच, उपेक्षा, आर्थिक शोषण और शारीरिक उत्पीड़न जैसे अमानवीय तरीक़े प्रमुख शामिल हैं । यह सब देखकर लगता है कि बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिहाज़ से भारतीय समाज दिन-प्रतिदिन असंवेदनशील होता जा रहा है ।

रिपोर्ट में यह बात भी उभर कर सामने आयी है कि सताये गये बयासी फ़ीसद बुज़ुर्ग अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं । वे इन मामलों को पारिवारिक मान कर छोड़ देते हैं या भविष्य की असुरक्षा को सोचकर भूल जाना पसन्द करते हैं । हालांकि जिस गति से देश में बुज़ुर्गों के मान-सम्मान में कमी आयी है, वह हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अवमूल्यन को परिलक्षित करती है ।

बड़ों का सम्मान और आदर करना आदर्श संस्कार रहा है । लेकिन उपभोक्तावाद, भौतिकवाद और पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करने में हम इतने मशग़ूल हैं कि हमें 'अपनों' की फ़िक्र ही नहीं है । आज हम उन्हीं को सम्मान देते हैं, जिनसे हमें कुछ लाभ की उम्मीद होती है । समझना होगा कि घर के सदस्यों का सम्मान लाभ-हानि के सिद्धांत से परे हैं । बुज़ुर्ग भले ही आर्थिक रूप से अनुत्पादक होते हैं, किंतु परिवार को उचित दिशा दिखाने में उनकी महती भूमिका होती है ।

बचपन में बच्चों को मिले सामाजिक आदर्श, मूल्य व नैतिकता से ही सभ्य समाज के निर्माण को बल मिलता था । लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयी हैं । विडंबना है कि जब बच्चे को दादा-दादी, नाना-नानी की गोद की

ज़रूरत होती है, तब वे शहर के किसी प्ले स्कूल में रो रहे होते हैं । बच्चे कुछ और बड़े होते हैं तो हाथों में अभिभावकों द्वारा वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन आदि थमा दिये जाते हैं । नयी पीढ़ी का परंपरा, संस्कार व सामाजिक मूल्यों से दूर होने का एक बड़ा कारण बुजुर्गों की अवहेलना है ।

एक अध्ययन के अनुसार साठ साल की उम्र के बाद देश में पैंसठ फ़ीसद बुजुर्गों को आय संबंधी परेशानी होती हैं । अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग माता-पिता के पास जब तक संपत्ति रहती है, तब तक बच्चे उनका आदर और परवरिश करते हैं । संपत्ति ख़त्म होते ही उनसे सौतेला व्यवहार किया जाने लगता है । हैरानी इस बात की है कि जो माता-पिता बच्चों के पालन-पोषण में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, कुछ समय बाद उनका ही घर में रहना बच्चों को नागवार गुज़रने लगता है ! जबकि यह समय माता-पिता की सेवा करने का होता है ।

भारत में वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई क़ानून बनाए गये हैं । केन्द्र सरकार ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वर्ष 1999 में राष्ट्रीय नीति बनाई थी । इस नीति का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं, पति या पत्नी के बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना था । इसमें परिवारों को अपने वृद्ध सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करने का भरोसा था ।

इसके बाद 2007 में 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक' संसद में पारित किया गया । इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया । लेकिन आज देश में ज़्यादातर बुजुर्ग जिस हालत में हैं उसे देखकर तो लगता है कि ये नीतियां और क़ानून फाइलों में दबे रह गये और बुजुर्गों की हालत दिन-प्रतिदिन दयनीय होती चली गयी । हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि नैतिक ज़िम्मेदारी समझने की बजाय बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा के लिए हमें क़ानून बनाने पड़ रहे हैं । घर के बुजुर्गों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी महज़ सरकारी दायित्व मान कर युवाओं का अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना अनुचित है । पेंशन से अधिक ज़रूरी घर के सदस्यों से मिलने वाला प्यार और सम्मान है । बुजुर्ग प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, पैसों के नहीं । बुजुर्ग अवस्था, मानव-जीवन की संवेदनशील अवस्था होती है । एक निश्चित आयु के बाद बुजुर्गों को कई तरह की शारीरिक-मानसिक समस्याओं से गुज़रना पड़ता है । एक अजीब-सा मनोवैज्ञानिक डर और असुरक्षा की भावना मन में घर करने लगती है । चिंता में डूबे रहने के कारण वृद्धों में तनाव और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । लेकिन ज़्यादातर लोग इसे समझते नहीं हैं और बुजुर्गों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं । जब तक मन में यह भाव नहीं होगा कि आख़िर हमें भी एक दिन ऐसे ही दौर से गुज़रना है, लिहाज़ा इस दर्द को हमें समझना होगा, तब तक हम बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे । (सा० :'जनसत्ता')

'अन्नदाता'

आज हमारे देश में, सबसे दुखी किसान
उसके कष्टों का कोई, करता नहीं निदान
करता नहीं निदान समस्याओं के उसकी
कर-कर करके हार गया, वह सबसे विनती
अगर कृषक मजबूर है, कैसे बढ़े अनाज
इसीलिए तो सब तरफ़ महंगाई है आज

खेती का जो हाल है, वह है बहुत ख़राब
मौसम अगर न साथ दे, सब होता बर्बाद
सब होता बर्बाद, और भी इसके कारण
इनका सबको पता, करें क्या इनका वर्णन
कैसे जिए किसान यह सबसे बड़ा सवाल है
होती गुज़र न ढंग से, खेती का यह हाल है

कहने को इस देश को कहते कृषि-प्रधान
पर खेतों की ओर ही, सबसे कम है ध्यान
सबसे कम है ध्यान, कृषक की कोई न चिंता
क्या है उसका हाल, किस तरह रहता ज़िंदा
नहीं किसी के पास, उसे कुछ भी देने को
उसे 'अन्नदाता' कहते हैं, बस कहने को ।

कन्हैयालाल अग्रवाल 'आदाब'
(आगरा, उ०प्र०)

भ्रष्टाचार उन्मूलन कैसे ?

● संपादन प्रभाग

भ्रष्टाचार पर इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है । पहले भी होती रही थी और भविष्य में भी होती रहेगी । पिछले महीनों में 2-जी स्पेक्ट्रम और कॉमन वेल्थ गेम्स के आयोजन में हुए घोटालों की विशेष रूप से चर्चा रही । तीव्रता उस समय आयी जब कई बड़ी शख़्सियतें सलाख़ों के पीछे चली गयीं । इसी बीच एक विश्व स्तरीय विश्लेषण संस्था ने भारतवर्ष को दुनिया के भ्रष्टतम देशों की सूची में चौथा स्थान दिया । देश के प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हज़ारे जी के अनशन से जगी जन-चेतना के बावजूद भ्रष्टाचार का सैलाब गांव से लेकर पार्लियामेंट तक जारी है । ऐसी ख़बरें नहीं आ रही हैं कि रिश्वत-ख़ोरी और भ्रष्टाचार में कमी आ गयी हो ।



ऐसा क्यों न हो ? गांव का ग़रीब और फटेहाल व्यक्ति जब पंचायत का चुनाव जीत कर प्रधान या सरपंच बनते ही रातोंरात पंचायत फंड के लाखों रुपये अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करने का अधिकार पा जाता है और कोई आस्था या क़ानून उसके मार्ग का रोड़ा नहीं बन पाता, तो आसमान से अचानक टपके हुए इस ख़ज़ाने के एक बड़े हिस्से को वह अपने आप पर और अपने सगे-संबंधियों पर ख़र्च करने से क्यों बचे ?

इसी तरह जब एक प्रदेश या केन्द्र के मंत्री की क़लम की नोंक पर करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये नृत्य करते हों तो उनमें से अपना माक़ूल हिस्सा (उचित भाग) निकालकर अपनी कई पीढ़ियों तक की व्यवस्था क्यों न कर ले ? उसको पता है कि बड़ी ख़ूबसूरती से किये गये इस काम की पहले तो किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगेगी और कुछ हुआ भी तो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित होने और सरसरी छानबीन के बाद मामला स्वयं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा । इतने बड़े देश में बहुत तेज़ी से लगातार सामने आने वाले भ्रष्टाचार की अनेक घटनाओं में उसकी घटना किसको याद रहेगी । कुछ दिनों के लिए मंत्रिमंडल से अलग भी हो गये तो अगले मंत्रिमंडल में शामिल होने से उसको कौन रोक सकेगा ?

मान लीजिए कि भाग्य ने थोड़ी देर साथ न दिया और कुछ महीने जले में ही गुज़र गये तो उससे क्या होता है ? रिहाई के बाद उसको फूल की माला पहनाकर सर पर बिठाने वाले समर्थकों की कब कमी होती है ? और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी चतुराई से जो रुपये उसने जमा कर लिये हैं उन्हें सरकार या अदालत उनसे थोड़े ही ले पाएगी ? पंचायत से पार्लियामेंट तक का उल्लेख तो बस नमूने के तौर पर किया गया है । वर्ना सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई विभाग ऐसा मिलना असंभव-सा है जहां भ्रष्टाचार और लूट-खसोट न हो । गांव के सरपंच से लेकर केन्द्रीय मंत्री तक, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर हवाई जहाज़ के पायलटों तक, बस कंडक्टर से लेकर रेलवे के टी०टी० तक, दूध और घी के व्यापारी से लेकर दवा बेचने और दवा बनाने वालों तक, देश की सीमाओं और हवाई अड्डों पर तैनात कस्टम अधिकारियों से लेकर देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों तक, भ्रष्टाचार से कौन कितना पाक है यह कहना

कठिन है । यह न समझा जाए कि इस सूची में जिन अनगिनत कामों, पेशों और विभागों के नाम दर्ज नहीं किये गये हैं वे सब बड़े पाकबाज़ और अत्यधिक ईमानदार हैं ।

लेकिन अस्ली सवाल यह है कि यह देश भ्रष्टाचार की दलदल में आया क्यों ? भौतिकवादी व्यवस्था ने सारी दुनिया को अपने पंजे में जकड़ लिया है । दुनिया में जीने वाला हर इन्सान आज भोगवादी जीवन का ग़ुलाम बन चुका है । समाज की चमक-दमक, सुविधाएं, मनोरंजन और मस्ती प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य बन गया है । जब किसी व्यक्ति की आय उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं करती तो वह समाज में अपनी साख बनाने के लिए आमदनी के अन्य स्रोतों की ओर ध्यान देता है और फिर वह अपनी और अपने परिवार की ''ज़रूरतों'' को पूरा करने के लिए जायज़-नाजायज़ में अन्तर नहीं करता है । रिश्वत, भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले आदि अब बुराई नहीं समझे जाते, बल्कि इन्हें वर्तमान समय की आवश्यकता का नाम दिया गया है, जो हर दृष्टि से अनुचित और ग़लत है । व्यक्तिगत रूप से ज़रूरतमंदों की सुनवाई हो या सामूहिक तौर पर किसी प्रोजेक्ट की मंज़ूरी या ठेके की अनुमति, अपराधियों की पर्दापोशी या दोषियों की रिहाई, इन सब नामों में भ्रष्टाचार अनिवार्य हो गया है, जिसमें दफ़्तर के चपरासी से लेकर मंत्री तक लिप्त हैं ।

सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई विभाग ऐसा मिलना असंभव-सा है जहां भ्रष्टाचार और लूट-खसोट न हो । गांव के सरपंच से लेकर केन्द्रीय मंत्री तक, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर हवाई जहाज़ के पायलटों तक, बस कंडक्टर से लेकर रेलवे के टी॰टी॰ तक, दूध और घी के व्यापारी से लेकर दवा बेचने और दवा बनाने वालों तक, देश की सीमाओं और हवाई अड्डों पर तैनात कस्टम अधिकारियों से लेकर देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों तक, भ्रष्टाचार से कौन कितना पाक है यह कहना कठिन है ।

घपले और घोटाले रिश्वत का बड़ा रूप हैं, जिसमें अधिक लोग लिप्त होते हैं और मामला भी बड़ी धनराशि का होता है । रिश्वत और भ्रष्टाचार का हाल आज यह है कि कोई भी इससे बचकर नहीं रह सकता । बच्चे के जन्म और पिता की मृत्यु की प्रमाण पत्र भी आज बिना रिश्वत के नहीं मिल सकता । घोटाले और भ्रष्टाचार का प्रदर्शन इससे अधिक और क्या हो सकता है कि एक ग़रीब राज्य का मुख्यमंत्री भी एक वर्ष में जनता के ख़ज़ाने से दस हज़ार करोड़ रुपये उड़ा लेता है और एक विभाग का मंत्री जनता की कमाई के एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये हड़प कर जाता है ।

ऐसा नहीं है कि देश के क़ानून निर्माताओं ने इस ओर से आंखें मूंद ली हों, बल्कि एंटी क्रप्शन ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट और सी॰बी॰आई॰ जैसी कई संस्थाएं और संगठन हैं, लेकिन सब बेकार बल्कि इन संस्थाओं और संगठनों में भी भ्रष्टाचार के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता । अन्ना हज़ारे को अन्य शरीफ़ लोगों की तरह इन घपलों और घोटालों से काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार को भी क़दम उठाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर अन्ना हज़ारे जी का सुझाया हुआ जनलोकपाल बिल बन भी जाता है तो क्या रिश्वत और भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा ।

जिस समाज और देश में बुराई को बुराई नहीं समझा जाता हो, जनता की सम्पत्ति को अमानत (धरोहर) नहीं समझा जाता हो, जहां जवाबदेही और अपना जायज़ा लेने का काम नहीं होता, जहां क़ानून को लागू करने वाली एजेंसियां अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, क्या वहां भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है ?

यह हमारे देशवासियों का दुर्भाग्य है कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विचारों और सिद्धांतों को अपनाया और विभिन्न क़ानूनों और नियमों का सहारा लिया, लेकिन ईश्वर, पालनहार के बनाए हुए क़ानून की ओर से मुंह फेर लिया । आईए देखते हैं कि सृष्टि के रचयिता और पालनहार ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए क्या मार्गदर्शन किया है–

(1) इस्लाम ने धन-सम्पत्ति के लालच को इन्सानों के दिलों से निकाला और आवश्यकता से अधिक धन संग्रहकी

हवस व लालच को अनुचित बताया । क़ुरआन की सूरह अत-तकासुर में है–तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक-दूसरे से बढ़कर दुनिया प्राप्त करने की धुन ने धोखे में डाल रखा है ।

(2) इस्लाम ने संतोष की शिक्षा दी है और अपव्यय और दिखावे से बचने को कहा है । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा–मालदारी धन-सम्पत्ति की अधिकता का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक मालदारी संतोष है ।

(3) इस्लाम अमानत और ईमानदारी पर बहुत ज़ोर देता है और कहता है जिसको भी संसार में कोई सत्ता या कोई पद मिला हुआ है उसे हर हाल में क़ियामत में उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाएगा । ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–तुम लोगों में से जिसको भी हम किसी काम का ज़िम्मेदार बनाएं फिर वह एक सुई या उससे भी छोटी कोई चीज़ हमसे छिपाए तो यह बेईमानी होगी और क़ियामत के दिन वह उसे ज़रूर लेकर आएगा (इसकी सज़ा पाएगा) और जिस किसी को हम किसी काम पर लगाएं तो अपनी निर्धारित आय के अलावा जो कुछ भी वह किसी भी रूप में लेगा वह बेईमानी होगी ।

(4) इस्लाम रिश्वतख़ोरों, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाज़ों को यह सूचना देता है कि प्रलय के दिन उनका अंजाम बहुत दुखद होगा । ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–रिश्वत लेने और देने वाला दोनों नरक में जाएंगे ।

ये चार ऐसे बुनियादी उसूल हैं कि अगर इनका सच्चे दिल से पालन किया जाए, तो समाज और देश से भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा । दुनिया में कोई क़ानून या कोई विचार ऐसा नहीं है जो इन्सान की अंतरात्मा को संबोधित करता हो । विशेष रूप से ऐसे समय में जब हमारे देश के क़ानूनविद् किसी क़ानून के बनने से पहले ही उस क़ानून से बचने के उपाय निकाल लेते हैं ।

अन्ना हज़ारे जी इसके लिए यक़ीनन मुबारकबाद के योग्य हैं कि वे भ्रष्टाचार पर बेचैन हो उठे और इसकी समाप्ति के लिए जान की बाज़ी लगा दी । भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य के अन्तर को कैसे बदला जाए ? कैसे लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर चलने के लिए तैयार किया जाए ? लोगों में भलाई और बुराई, सत्य और असत्य में अन्तर करने की शक्ति कैसे उत्पन्न की जाए और इन्सान को अन्दर से

इतिहास साक्षी है कि ऐसे लोग भी गुज़रे हैं, जिनकी ज़िन्दगियां हमारे सामने हों, तो आशा की जा सकती है कि हमारी आत्माओं तक में बसेरा किए हुए अंधेरे दूर हो सकते हैं और हम भ्रष्टाचार की इस अंधेरी खाई से सच्चाई और ईमानदारी के नूर (प्रकाश) से उज्ज्वल शाहराह (राजपथ) पर आ सकते हैं ।

इस प्रकार बदल दिया जाए कि वह अपने रचयिता और स्वामी की मर्ज़ी का पाबन्द हो जाए और संसार का लालच भी उसे अपने स्रष्टा व पालनहार के आज्ञापालन से रोक न सके । उसके अन्दर यह ईशभय पैदा हो जाए कि अगर वह बुरे कर्म और दुष्कर्मों में लिप्त होगा तो उसे कड़ा दंड मिलेगा और अगर वह सुकर्म करेगा तो ईश्वर द्वारा पुरस्कार और पारितोषिक पात्र होगा । इतिहास साक्षी है कि ऐसे लोग भी गुज़रे हैं, जिनकी ज़िन्दगियां हमारे सामने हों, तो आशा की जा सकती है कि हमारी आत्माओं तक में बसेरा किए हुए अंधेरे दूर हो सकते हैं और हम भ्रष्टाचार की इस अंधेरी खाई से सच्चाई और ईमानदारी के नूर (प्रकाश) से उज्ज्वल शाहराह (राजपथ) पर आ सकते हैं ।

मदीना की गलियां थीं, अंधेरी रात थी, हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था । सुबह होने ही वाली थी, घर के अन्दर से किसी मां की आवाज़ आ रही थी, "बेटी, उठ जा, उठ जा, सुबह हो रही है । उठ, जा दूध में पानी मिला दे !"

बेटी ने कहा, "अम्मी यह तो गुनाह है ! इस्लामी शासक हज़रत उमर (रज़ि॰) ने यह घोषणा करा दी है कि दूध में कोई मिलावट नहीं की जाएगी ।"

मां ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, "यहां कहां हैं हज़रत उमर (रज़ि॰)। उठ, जा दूध में पानी मिला दे ।"

बेटी ने अदब से कहा, "नहीं मां, हज़रत उमर (रज़ि॰) न सही, अल्लाह तो मौजूद है । हज़रत उमर (रज़ि॰) न देखें, वह तो देख रहा है !"

अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बातचीत के बाद भी क्या मां ने दूध में पानी मिलाने पर ज़ोर दिया होगा और रात के सन्नाटे में भी ख़ुदा को अपने घर में मौजूद होने का विश्वास रखने वाली बेटी ने क्या दूध में पानी मिला दिया

होगा ? नहीं, कदापि नहीं, इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ यह दिलचस्प घटना घटी कि अपनी जनता के दुख-सुख को जानने के उद्देश्य से मदीना की गलियों में गश्त लगाने वाले हज़रत उमर (रज़ि॰) खुद ही गली में खड़े हुए मां-बेटी की यह बातचीत सुन रहे थे । आप मासूम बच्ची की ईमानी भावना और पाक चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उस लड़की को अपनी बहू बना लिया ।

यही इस्लामी शासक हज़रत उमर (रज़ि॰) मदीना की मस्जिदे नबवी में मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे । मजमे से एक साहब उठे और कहा, ''हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप यह न बताएंगे कि आपने यह लंबा कुर्ता कैसे सिलवा लिया ?'' अर्थात राजकोष से तो हरेक मुसलमान को केवल एक-एक चादर बांटी गयी थी, एक ही चादर आपको भी मिली थी और एक चादर में आप जैसे लंबे-चौड़े व्यक्ति के लिए कुर्ता तैयार होना संभव नहीं है ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने फ़रमाया–''इस आपत्ति का जवाब मेरे बेटे अब्दुल्लाह देंगे ।''

बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया कि, ''राजकोष से जो चादर मेरे हिस्से में आयी थी वह मैंने अपने पिता को दे दी थी । (इस तरह से दो चादरें मिलाकर हज़रत उमर (रज़ि॰) का कुर्ता तैयार हुआ था) आपत्ति करने वाले व्यक्ति ने संतुष्ट होकर कहा कि ''ठीक है, अब हम आपका संबोधन सुनेंगे ।''

उन्हीं हज़रत उमर (रज़ि॰) की अगली नस्लों के एक सपूत हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी इस्लामी शासक हुए तो दिल की दुनिया और ज़िन्दगी की कैफ़ियत बदल गयी । हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी काम में व्यस्त थे कि सरकारी ख़ज़ाना की अमानत के तौर पर रखे हुए सेब के ढेर में से उनके छोटे से मासूम बेटे ने एक सेब उठा लिया । बाप ने बेटे के हाथ से सेब लेकर अमानत में डाल दिया, तो बच्चा रोते हुए घर चला गया ।

काम समाप्त करके जब वे खुद घर पहुंचे, तो पत्नी ने शिकायत की कि आपने बेटे के हाथ से सेब छीन लिया और वह ख़ाली हाथ रोते हुए वापस आ गया । इस्लामी शासक ने कहा–''वह सेब सरकारी ख़ज़ाने की अमानत था । (उसकी सुरक्षा के हम ज़िम्मेदार थे ।) बेटे को सेब चाहिए तो अपने पैसे से बाज़ार से ला देता हूं ।''

ये छोटी-छोटी तीन ऐतिहासिक घटनाएं इस बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं कि यदि अल्लाह के होने पर पूरा ईमान हो, परलोक का यक़ीन और वहां हर छोटे-बड़े अच्छे और बुरे कर्मों की जवाबदेही और दंड व पुरस्कार का एहसास ताज़ा रहे और दुनिया की दृष्टि से भी ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का यह मुबारक कथन नज़र के सामने रहे कि यदि मुहम्मद (सल्ल॰) की बेटी भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काट दिया जाता, तो देश में मौजूद भ्रष्टाचार की मौजूदा स्थिति बाक़ी न रहती । जहां न ईश्वर का भय हो, न परलोक में जवाबदेही का एहसास, न दुनिया में जुर्म की सख़्त सज़ा की आशंका, वहां भ्रष्टाचार की नदियां बहने और बहाने से कैसे और किस तरह रोका जा सकता है ? इसको मज़बूत आस्था और प्रभावशाली क़ानून और उसको बेलाग लागू करने से ही समाप्त किया जा सकता है । क्या हम इसके लिए तैयार हैं ?

आलोचना होने लगी

भूख है बेचारगी है हर तरफ़
संक्रमण की त्रासदी है हर तरफ़

युद्ध की दीवानगी है हर तरफ़
सनसनी ही सनसनी है हर तरफ़

ये करूं या न करूं या क्या करूं
फ़ितरतन पेचीदगी है हर तरफ़

शुक्र है अल्लाह का वो मौजूद है
वरना धन की बंदगी है हर तरफ़

प्यास दरिया के मुहाने पर खड़ी
और तट पर गन्दगी है हर तरफ़

लूटमारी अब हमारा शौक़ है
सेंध नगरी में लगी है हर तरफ़

एक साधक साधना में रम गया
आलोचना होने लगी है हर तरफ़

नम्बरों का सिलसिला है ज़िन्दगी
हाथ सबके डायरी है हर तरफ़।

● योगेन्द्र मौदगिल

इतिहास बिगाड़ने के हथकंडे

■ ख़ुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी

प्रो॰ विश्वंभर नाथ पांडे को प्रायः राष्ट्रीय नेता और साहित्यकार दिवंगत पं॰ सुन्दर लाल से बातचीत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आपने बहुत से अवसरों पर अपने भाषणों में और मुझसे व्यक्तिगत मुलाक़ात में यह फ़रमाया कि उन्हें पंजाब के प्राचीन मंदिरों और गुरुद्वारों में खोज़बीन का अवसर मिला तो देखा कि शाही फ़रमानों के ढेर मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर औरंगज़ेब के हैं । साथ ही उन्होंने भारत के इतिहास को विकृत करके ज़हरीला बनाने की छलपूर्ण घटनाओं में अपनी यह घटना भी सुनाई थी कि 'मैंने टीपू सुल्तान के बारे में बड़ी छानबीन की है ।

ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे बहुत विद्वेषी और तंगनज़र बताया है । यहां तक कि सुल्तान के एक वंशज ने टीपू सुल्तान के ज़माने का इतिहास लिखा जिसकी फ़ारसी प्रति कटोरिया के पुस्तकालय में है । उसका अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हुआ तो उसमें उसी ग़लत सोच का समर्थन किया गया है । मैं एक बार कलकत्ता गया और टीपू सुल्तान के ख़ानदान से टालीगंज मुहल्ले में मिला जो वहां रहता है और उससे क़रीबी संबंध क़ायम किये ।

टीपू सुल्तान के पड़पोते सलीमुज़्ज़मा से एक दिन मैंने उक्त किताब के बारे में पूछा तो उन्होंने पूछा कि वाक़िया यह था कि जो पेंशन अंग्रेज़ों ने मुक़र्रर की थी वह धीरे-धीरे कम होती जाती थी, क्योंकि मरने वालों का रुपया कम कर दिया जाता था और पैदा होने वालों का बढ़ाया न जाता था । एक बार तो कई महीने तक पेंशन न मिली तो भूखे रहने की नौबत आ गयी । अतः सलीमुज़्ज़मा के पिता जब बहुत परेशान हुए तो एक अंग्रेज़ ने उनसे कहा कि सरकार को आप पर कुछ संदेह है । अगर आप लंदन जाने और अपनी सफ़ाई पेश करने को तैयार हो तो आपकी पेंशन मिल सकती है । वे मजबूरन तैयार हो गये और सरकारी ख़र्च पर लंदन भेजे गये, जहां काफ़ी परेशान होने के बाद एक दिन एक फ़ारसी किताब का मसौदा उनके सामने रख दिया गया और कहा गया कि यह आपके नाम से प्रकाशित होगी, उन्होंने बग़ैर देखे ही दस्तख़त कर दिये । सब पेंशन भी मिल गयी और कुछ रुपया भी मिला । इस घटना से न केवल टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ बल्कि पूरे इतिहास में की गयी विकृतियों की साज़िश सामने आती है, जिनके ज़रिए हमारे ज़ेहनों में ज़हर घोला गया ।

प्रो॰ विशंभरनाथ पांडे साहब ने अपनी यह घटना लिखी है कि उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब में यह वाक़िया देखा कि टीपू सुल्तान तीन हज़ार ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था । खोजबीन से पता चला कि यह वाक़िया काल्पनिक है इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को तवज्जोह दिलायी । वहां से यह किताब जो किसी हरप्रसाद शास्त्री की लिखी हुई थी, कोर्स से ख़ारिज कर दी गयी । पांडे साहब लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में यह कहानी 1972 तक मौजूद थी ।

सरदार खुशवंत सिंह ने अपने एक नोट में आश्चर्य व्यक्त किया कि 'अंग्रेज़ों ने तो एक ख़ास मक़सद से इतिहास को विकृत किया, यह तो समझ में आता है । लेकिन बाद के ज़माने में बुद्धिजीवियों और वर्तमान काल के पी॰एन॰ ओक जैसे लोगों को आख़िर किस चीज़ ने इस विद्वेष पर उकसाया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नयी नस्ल में ज़हर भर दें ।'

वस्तुतः अंग्रेज़ी शासनकाल के इतिहास ने मानसिकता विकृत की और बहुत से संकुचित दृष्टि वाले लोगों में हीन भावना और बदले की भावना पैदा हुई । 1947 के बाद इस भावना ने अंगड़ाई ली और इसी का कुफल आज तक हमारे सामने विभिन्न वीभत्स रूपों में सामने आ रहा है । आज आधी सदी बाद भी इतिहास की किताबों का हाल वही है जो पहले था, बल्कि उससे भी बदतर है । आइंदा के लिए सवाल यह है कि किसका इधर ध्यान हो, कैसे हो और क्यों हो...?

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

—मैनेजर

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) :

■ **प्रो० मुहम्मद महफ़ूज़ुर्रहमान अख़्तर**

22 अप्रील 571 ई० को अरब देश के मक्का शहर में एक बालक का जन्म हुआ जिसने बड़े होकर संपूर्ण मानवता को एक ऐसा मार्ग दिखलाया जिस पर चलकर हर मानव आध्यात्मिक और लौकिक शान्ति का अधिकारी हो सकता है, और वह अपने उच्चतम मानव स्वरूप का अनुभव कर सकता है–और संपूर्ण संसार में शान्ति और संतोष का राज्य स्थापित हो सकता है । इस बालक का नाम मुहम्मद (सल्ल०) रखा गया जिसका अर्थ है–जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए । मक्कावासियों ने इस बालक को अपने सामने बढ़ते हुए और युवा होते हुए देखा । उन्होंने पाया कि वह उनमें होते हुए भी उनसे भिन्न है । वह न कभी झूठ बोलता है, न निरर्थक कामों में हिस्सा लेता है, न उनके समान शराब पीता है, न नाच-गानों का शौक़ीन है, वरन वह अत्यधिक शालीन, विनम्र, मृदुभाषी, ग़रीबों और अनाथों का सहायक, ईमानदारी, अमानतदारी और सत्यवादिता के शिखर पर आसीन है । उसके व्यक्तित्व ने मक्कावासियों को सम्मोहित कर लिया और उन्होंने उसे 'सादिक़' और 'अमीन' की उपाधियां दी ।



आम इन्सान एक सीमित दायरे में अपनी ज़िन्दगी गुज़ारता है और अपने और अपने परिवार वालों से आगे उसकी सोच नहीं जाती । मुहम्मद (सल्ल०) के साथ ऐसी बात नहीं थी, और आरंभ से ही जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण विस्तृत था । वे संपूर्ण मानवता के कल्याण और उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए चिंतित रहते । जब वे 25 वर्ष के हुए तो मक्का की एक प्रतिष्ठित और अमीर चालीस वर्षीया विधवा ख़दीजा ने इनके सदाचार और सद्व्यवहार से प्रभावित होकर इनसे निकाह कर लिया । हज़रत ख़दीजा के साथ हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का दाम्पत्य जीवन एक अत्यंत सुखमय दाम्पत्य जीवन था जो 25 वर्ष तक क़ायम रहा । इस अवधि में उन्हें विधवाओं, अनाथों, ग़रीबों और निस्सहायों की जी-भर सेवा करने का अवसर मिला । आदर्श पत्नी ने अपने धन को सत्कर्मों में ख़र्च करने की खुले हृदय से अनुमति दी । फिर भी मुहम्मद (सल्ल०) के मन में हमेशा जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहते और वे इनका उत्तर पाने के लिए अत्यंत बेचैन थे । मक्का से तीन मील दूर हिरा का पर्वत है । 35-36 वर्ष की आयु में मुहम्मद (सल्ल०) बस्ती छोड़कर हिरा पर्वत पर जाने लगे, और वहां की एक गुफ़ा में बैठकर मनन करने लगे । यहां विस्तृत आकाश, दूर तक फैले हुए रेगिस्तान और पथरीले पर्वतों ने उन्हें एक ऐसा वातावरण दिया जिससे उन्हें आभास हुआ कि वे सत्य को पाने की मंज़िल से बहुत क़रीब हैं ।

यह विस्तृत आकाश, यह धरती, पर्वत, मानव और पशु यह संपूर्ण जगत किसने बनाया–अगर उसे एक प्रभु ने बनाया तो उसी एक प्रभु की उपासना की जानी चाहिए, न कि हज़ारों दूसरे झूठे प्रभुओं की–ऐसा विचार उनके मन में घहराता था । मानव को अपनी ज़िन्दगी कैसे गुज़ारनी है, जिससे व्यक्ति और समाज में सामंजस्य रहे ? क्या यह लौकिक जीवन ही संपूर्ण जीवन है, अथवा इसका सिलसिला

जीवन के सुनहरे पृष्ठ

आगे तक भी है ? अगर है तो मानव का इस जीवन में कैसा आचरण होना चाहिए ? यदि उस एक प्रभु ने मानव को भौतिक शरीर देकर उसके विकास के साधन जुटाये हैं, तो वहीं प्रभु उसके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए । इसी प्रकार के मौलिक प्रश्न मुहम्मद (सल्ल०) के मन को बेचैन रखते थे, और वे इनका उत्तर पाने के लिए एकाग्रचित्त होकर मनन करते । आप हफ़्तों इसी ध्यान में खोये रहते । जब खाने-पीने का सामान ख़त्म हो जाता तो आप वापस मक्का आते और यहां से फिर खाने-पीने का सामान लेकर उसी गुफ़ा में वापस लौटकर चिंतन, मनन और ध्यान में डूब जाते । सत्य की ये उत्कट जिज्ञासा बेकार नहीं गयी, और एक दिन जब आप इबादत में मशग़ूल थे तब गुफ़ा में एक प्रकाश फैल गया । ये अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिबरील थे जो अल्लाह का कलाम (वचन) लेकर आपके पास आये थे ।

फ़रिश्ते ने कहा 'इक़रा' अर्थात पढ़ो । आपने कहा–मैं पढ़ना नहीं जानता । तब फ़रिश्ते ने आपका ज़ोर से आलिंगन किया, और अल्लाह का यह कलाम प्रस्तुत किया । 'पढ़ो, उस रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने मनुष्य को ख़ून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया । पढ़ो कि तेरा करीम रब वह है जिसने इन्सान को क़लम के माध्यम से इल्म सिखाया और इन्सान को वह बातें सिखाईं जिन्हें वह नहीं जानता था ।' फ़रिश्ते ने आपको यह ख़ुशख़बरी भी दी कि अल्लाह ने उन्हें अपना रसूल (संदेष्टा) बनाया है । अल्लाह का कलाम अवतरित होने के बाद अब आप घर गये तो अल्लाह का रसूल होने की बड़ी ज़िम्मेदारी से आप परेशान थे । आपने पत्नी ख़दीजा (रज़ि०) से कहा : ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ! मुझे कम्बल उढ़ा दो-मुझे कम्बल उढ़ा दो । कुछ समय के बाद जब आप आवस्त हुए तब आपने हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) से सारी बातें बताईं । उन्होंने आपको सांत्वना दी और कहा कि आप नेकी करते हैं, बेकसों और दीनों को खाना खिलाते हैं, ग़रीबों और मुहताजों को सदक़ा देते हैं, अनाथों और विधवाओं का पालन-पोषण करते हैं, परिजनों के साथ एहसान करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते-ऐसे नेक बंदे के साथ भलाई का ही मामला करेगा ।

अल्लाह की ओर से फ़रिश्ते द्वारा लाये हुए अल्लाह के कलाम को "वह्य" कहते हैं । आपके पास वह्य आती रही और उनके माध्यम से जीवन का कर्म-विधान निर्धारित होता रहा । आपको जिस दीन का पैग़ाम पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मिली, उसका नाम इस्लाम है । अपने आपको अल्लाह की आज्ञाओं के प्रति मन, वचन और कर्म से समर्पित कर देना ही इस्लाम है, और जो ऐसा करता है, उसे मुस्लिम कहते हैं । इस्लाम कोई नया दीन नहीं है–यह वह दीन है जिसे मानवों के लिए अल्लाह ने चुना है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले जितने संदेष्टा आये, उनका दीन भी इस्लाम ही था । यह सनातन धर्म है । इस्लाम की मौलिक आस्थाएं बताती हैं ।

1. इस संपूर्ण विश्व का स्रष्टा, सभी का पालनहार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एक और केवल एक हस्ती है जिसे अल्लाह कहते हैं । अल्लाह के अधिपत्य में विश्व का कण-कण है, और वही एक उपासना के योग्य है । वह कल्पना और तर्क से परे है, और वह शाश्वत है । वह स्वयंभू है । उसके मां-बाप नहीं, उसके बेटे-बेटियां नहीं । वह संबंधों से परे है और यह संपूर्ण जगत दृष्य और अदृष्य, उसकी बंदगी में लगा हुआ है ।

2. मानवों के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह ने हर जाति में अपने संदेष्टा भेजे । सबसे अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं जिन्हें क़ुरआन के रूप में मानव जीवन का संपूर्ण कर्म-विधान अल्लाह की ओर से दिया गया, और जिसके प्रकाश में मानव जीवन के हर पहलू के लिए पूर्ण एवं पर्याप्त मार्गदर्शन है ।

3. इस जीवन के बाद एक दूसरा पारलौकिक जीवन है । क़यामत के दिन सब लोगों को अल्लाह तआला फिर

से जीवित करेगा और उनके इस जीवन के कर्मों का लेखा-जोखा होगा । सत्कर्मी सफल होंगे । मानव इस लोक और परलोक (आख़िरत) में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब वे रसूलों द्वारा बताए हुए अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करे । अल्लाह की सच्ची बन्दगी के नतीजे में ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संसार-सभी क्षेत्रों में शांति की स्थापना हो पाएगी ।

मानव इस लोक और परलोक (आख़िरत) में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब वे रसूलों द्वारा बताए हुए अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करें । अल्लाह की सच्ची बंदगी के नतीजे में ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संसार-सभी क्षेत्रों में शान्ति की स्थापना हो पाएगी ।

पहले तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अल्लाह के पैग़ाम को ख़ामोशी के साथ लोगों तक पहुंचाया । सबसे पहले मुसलमान होने वालों में हज़रत ख़दीजा, हज़रत अली, हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) थे । मक्कावासी बहुदेववादी थे । अत: एक ईश्वर की बात सुनकर उनका भड़क उठना और दुश्मनी पर उतर आना स्वाभाविक था । किन्तु तीन साल बाद अल्लाह तआला की ओर से हुक्म हुआ कि आप अल्लाह के पैग़ाम को निर्भीक होकर सबके सामने स्पष्ट पहुंचा दें । तब एक दिन सुबह-सुबह आप मक्का की पहाड़ी सफ़ा पर खड़े हुए और मक्कावासियों को पुकारा । वे लोग जमा हुए तो आपने उनसे पूछा-कि यदि मैं यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक सेना तुम पर हमला करने आ रही है, तो तुम क्या कहोगे-तो उन्होंने कहा कि हम तुझे सादिक़ समझते आये हैं अत: हम तेरी बात मान लेंगे । इस पर अल्लाह के रसूल ने कहा-लोगों ! अल्लाह पर ईमान लाओ और इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है।

इस पर सभी एकत्रित लोग भड़क उठे और अल्लाह के रसूल को बुरा-भला कहते हुए लौट गये । इन्कार करने वालों में आपका अपना चाचा अबू लहब भी था । जब इन्सान विवेक और बुद्धि की आंखें बन्द कर लेता है तो बड़ी-बड़ी हक़ीक़तें उसकी आंखों से छिपी रह जाती हैं और बहुत-सी नेमतों से वह महरूम कर दिया जाता है । जब आपने खुलकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो आपका बहुत विरोध होने लगा । आपको, और जो अ।प पर ईमान लाये थे, उन्हें तरह-तरह से सताया जाने लगा । ईमान लाने वालों को अत्यंत क्रूर यातनाएं दी जाने लगीं । हज़रत बिलाल को रेगिस्तान की गर्म रेत पर लिटा कर उनकी छाती पर पत्थर रख दिया जाता, और शरीर लड़के गले में रस्सी बांध कर उन्हें खींचते, फिर भी लोग ईमान लाते रहे, और धैर्य के साथ जुल्मो-सितम बर्दाश्त करते रहे । इस्लाम की चर्चा मक्का से निकल कर दूसरे शहरों में भी पहुंची । यसरिब मक्का से 300 मील दूर है । वहीं की ज़मीन उर्वर है और खजूरों के बाग़ दूर-दूर तक फैले हैं । वहां के लोगों को पता चला कि मक्का में एक पैग़म्बर आये हैं जो एक अल्लाह की उपासना का सबक़ देते हैं और मूर्तिपूजा को ग़लत क़रार देते हैं, और जिन पर अल्लाह ने एक ऐसा कलाम अवतरित किया है जिसको सुनने से मन पर अजीब तरह का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है ।

यसरिब से कुछ लोग मक्का जाकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से मिले । उन्हें दिल में यक़ीन हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और वे ईमान ले आए । आपने उन्हें इबादत का तरीक़ा बताया । वुज़ू कैसे करें और नमाज़ कैसे पढ़ें । वे लोग लौटकर यसरिब गये तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच एक सच्चे रसूल आ गये हैं और हमें उन पर ईमान ले आना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की अनुकम्पा के पात्र हो सकें । फिर तो लोगों में बहुत अधिक जिज्ञासा बढ़ गयी । इधर मक्का के सामंतों ने योजना बनाई कि मुहम्मद (सल्ल०) का अंत कर देना ही ठीक होगा । जिस रात वह आपकी कोठरी को चारों ओर से घेरे हुए थे, आप निकले और सूरह-ए-यासीन की तिलावत करते हुए एक मुट्ठी धूल उठाकर उनकी ओर फेंक दी और निकलकर चले आए । मक्का से आपने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ को साथ लिया और यसरिब, जिसे आजकल मदीना भी कहते हैं, हिजरत फ़रमाई । मदीना में अल्लाह के रसूल का जैसा मुहब्बत भरा स्वागत हुआ, वह अपने आपमें एक विस्तृत कहानी है ।

अल्लाह के रसूल की मदीना की ज़िन्दगी भी आज़माइशों से भरी हुई थी । ईमान की रोशनी लोगों तक पहुंचाने के

लिए आपको अत्यधिक कठिन मार्ग पर चलना पड़ा । इन्कार करने वालों ने आपको जंग करने पर भी मजबूर किया । बहुदेववादियों के अतिरिक्त यसरिब में यहूदी भी थे । ये महाजनी प्रथा के नायक थे । धन-संपत्ति पर इनका क़ब्ज़ा था । इन्हें अल्लाह के रसूल के आगमन का बहुत आक्रोश था । इन्होंने यह नीति अपनाई कि सामने में हम आप पर ईमान लाए और पीछे हम आपका विरोध करेंगे । इन लोगों का सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबई । ऐसे लोगों को मुनाफ़िक़ कहते हैं । लेकिन अंततः अल्लाह ने सारी विरोधी शक्तियों को पराजित किया और इस्लाम को विजयी बनाया ।

आप मक्का में विजेता के रूप में दाख़िल हुए । यह विजय बग़ैर किसी रक्तपात के थी । आपने अपने घोर शत्रुओं को भी माफ़ कर दिया । ये वे लोग थे जिन्होंने आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था और जिन्होंने आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट देने में कोई कमी नहीं की थी और ये वे लोग थे जो आपकी जान के ग्राहक थे ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ज़िन्दगी मन को आन्दोलित करने वाली और प्रेरणादायक हक़ीक़त है। यह एक ऐसे बादशाह की जीवनी है जिसका कोई राजमहल नहीं था, जिसका कोई तख़्त नहीं था, जिसके सर पर आम बादशाहों की तरह ताज नहीं था । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का राज्य संपूर्ण मानव समुदाय तक विस्तृत था । आपने इन्सानों के दिलों पर हुक्मरानी की । अल्लाह की अनन्य मुहब्बत ही आपके सर का ताज थी, और इन्साफ़ ही वह सिंहासन था जिस पर आप आसीन रहे ।

फ़रिश्ते द्वारा अल्लाह के कलाम को आप तक लाए जाने का सिलसिला 23 साल तक रहा । ''वह्य'' का संकलित रूप कुरआन है । क़ुरआन अल्लाह का कलाम है । इसमें मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन है ।

असहिष्णुता का रुझान और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाएं

■ डॉ० ताहिर रज़ा बुख़ारी

हमारी आंखें देख रही हैं कि इस वक़्त विश्व-शांति के घरौंदे पर हर तरफ़ से बिजलियां गिर रही हैं । व्यक्ति से लेकर राष्ट्रों तक असंतोष छाया हुआ है । इन्सान के हाथों इन्सान पर ज़ुल्म-ज़्यादती का बाज़ार गर्म है और हर ओर रक्तपात का माहौल है । इन्सानियत की प्रतिष्ठा, मर्यादा, ज़ुल्म व दमन के अथाह अंधेरों में डूबती महसूस हो रही है । तथाकथित ज्ञान एवं सभ्यता के हाथों मानवता सिसकियां ले रही है । नैतिक मूल्य-मनेच्छाओं और दिखावे के सांचों में ढलते जा रहे हैं, और अनैतिक परंपराएं स्वार्थपरकता के जीवन-दर्शन को पल्लवित कर रही हैं ।

धन-लोलुपता ने ख़ियानत, रिश्वत तथा धन-प्राप्ति के किसी ज़रिए को अवैध और नाजाइज़ नहीं रहने दिया है । व्यक्तियों तथा क़ौमों ने मानवीय मूल्यों से ऊपर उठकर खुलेमन को अपना 'मोटो' घोषित कर दिया है । इसी खुलेपन और असहनशीलता के रुझानों ने दुनिया में क़ियामत बरपा की हुई है । क़ौमें क़ौमों से टकरा रही हैं, देश आपस में संघर्षशील हैं । इन्सानों का सामूहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है । बाप-बेटे और भाई-भाई के बीच खींचातानी है । हर शख़्स अहंवाद के घोड़े पर सवार होकर अपने सिवा किसी दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है । इन हालात में लाज़िम है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की उन शिक्षाओं से रहनुमाई हासिल की जाए जिनमें संयम, बर्दाश्त, धैर्य, सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता व उदारता का पाठ मिलता है ।

आज दुनिया में सहनशीलता, सहिष्णुता तथा उदारता से वंचित इन्सानी समाज एक ख़तरनाक रुख़ अपनाता जा रहा है । इसकी वजह से भय और आतंक के साए संगीन होते जा रहे हैं । विध्वंस एवं अशांति के कारण कहीं धर्म को बुनियाद बनाकर और कहीं सियासी गिरोहबंदी के हवाले से

हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है । मामूली-मामूली बातों पर इज़्ज़तें लूट जाती हैं और इन्सानी जानें नष्ट हो जाती हैं । बच्चों को मामूली झगड़े ख़ानदानों की बर्बादी का कारण बन जाते हैं । दीन से दूरी के सबब लोग राहेअमल के बजाय राहेफ़रार अपना रहे हैं । इसीलिए इस सभ्य दौर में भी आत्महत्या का प्रतिशत बहुत ऊंचा है । असहनशीलता और हिंसा के ताल्लुक़ से मज़हबी हल्क़े आज सबसे ज़्यादा असंतुलन का शिकार हैं । दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने और बर्दाश्त करने की प्रवृत्ति ख़त्म हो चुकी है । अपनी आस्थाओं तथा विचारों को दूसरों पर लागू करना हर शख़्स अपना धार्मिक अधिकार समझता है ।

असहिष्णुता एवं संयम का एक और कारण आर्थिक एवं असामाजिक विषमता है । धनी और धनी तथा निर्धन और निर्धन होता जा रहा है । एक को सूखी रोटी उपलब्ध नहीं और दूसरी ओर कुत्ते भी डबल रोटी और दूध पर पल रहे हैं । प्रेम, स्नेह जैसी मानवीय भावनाएं समाज से ग़ायब होकर रह गयी हैं । इसी तरह राजनीतिक असंतुलन तथा पसन्द व नापसन्द ने भी अशांति तथा हिंसा को बढ़ावा दिया है । 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की नीति ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर देशों की ज़िन्दगी दूभर कर दी है ।

दुनिया की इन समस्त समस्याओं का हल अगर कहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं में है जो पूर्णरूपेण न्याय पर आधारित हैं । मैं समझता हूं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सिर्फ़ एक फ़रमान–'तुममें कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने मोमिन भाई के लिए वहीं चीज़ पसन्द न करे जो वह अपने लिए करता है' (बुख़ारी) कोई कोई भी समाज आदर्श बना ले तो वह शांति का गहवारा और मुहब्बत का गुलिस्तान बन जाएगा । इसलिए कि हर शख़्स अपने लिए ख़ूबसूरत, उच्च और बेहतर बात को पसन्द करता है । ईमान और इन्सानी तक़ाज़े के अनुसार जब वह अपने लिए पसन्द की जाने वाली अच्छी चीज़ को दूसरों के लिए भी पसन्द करेगा तो उससे हर तरफ़ अम्न व मुहब्बत की ख़ूशबू फैल जाएगी ।

इस वक़्त दुनिया भर के मुसलमान इतिहास के एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं । आलमे कुफ़्र अपनी तमामतर क्षमताओं, शक्तियों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यहां तक कि वैचारिक तथा मौलिक पहलुओं पर हमलावर है । इस्लामी जगत के ख़िलाफ़ मौजूदा मोर्चेबंदी और उत्तेजक कार्रवाइयां दरअस्ल असहिष्णुता के इसी रुझान की प्रतीक हैं ।

संयम, सहिष्णुता, सदाशयता उन नैतिक गुणों में से हैं जो व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्रों के लिए सामूहिक रूप में सफलता, सम्मान, प्रतिष्ठा का माध्यम बनते हैं । सदाशयता की वजह से इन्सान के नफ़्स में वह सहनशीलता और वह सुकून व इत्मीनान पैदा होता है किसी हालत में भी आक्रामकता नहीं छाती । एक सहनशील इन्सान की मर्ज़ी व मंशा के ख़िलाफ़ कोई बात हो या उसे कितनी ही तकलीफ़ पहुंचाई जाए वह संयम से काम लेकर उन्हें बर्दाश्त करता है । क़ुरआन करीम ने इसका प्रभाव यह बताया है कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है । अल्लाह तआला का इरशाद है कि–

'और ऐ नबी नेकी और बदी समान नहीं है । तुम बदी को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो । तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी थी वह जिगरी दोस्त बन गया है ।' (सूरह हा०मीम० सजदा, आयत-34)

अल्लाह के रसूल ने धैर्य, संयम, सदाशयता, शालीनता, साहस व सब्र अपनाने की न सिर्फ़ तालीम दी है, बल्कि अपने उसवे-हस्ना (आदर्श जीवन-चरित्र) के ज़रिए इसकी अद्वितीय मिसालें क़ायम की हैं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की लोकप्रियता का एक अहम रहस्य यह भी है कि आपके स्वभाव में बर्दाश्त व संयम की अद्वितीय विशिष्टता थी । लोगों की सख़्त कलामी, उनके कुव्यवहार और कठोरतम यातनों के बावजूद आप उन पर ख़फ़ा न होते ।

आप (सल्ल०) की यही सहन-शक्ति और शालीन स्वभाव आप (सल्ल०) की सदाक़त की बहुत बड़ी अलामत है । इसी अलामत को देखकर और आज़मा कर यहूद का एक बड़ा आलिम ज़ैद बिन सअना आप (सल्ल०) पर ईमान लाया और अपना आधा माल सदक़ा कर दिया, और फिर तबूक़ की लड़ाई में शहीद हो गया ।

क़ुरआन मजीद इसी तरफ़ इशारा कर रहा है–'(ऐ

पैग़म्बर) यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म मिज़ाज हो । वरना अगर तुम कटु स्वभाव और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छट जाते ।' (सूरह आले इमरान, आयत-159)

इस आयत में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की विलक्षण सदाशयता, सहिष्णुता तथा शालीनता की तारीफ़ फ़रमाई है ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की ज़िन्दगी गवाह है कि आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया । हज़रत आइशा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि आप (सल्ल०) ने कभी किसी निजी मामले में बदला नहीं लिया, सिवाय इसके कि किसी ने अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी की हो और अल्लाह की सीमाओं में से किसी सीमा को तोड़ा हो ।

तायफ़ वालों ने आप (सल्ल०) के साथ जो सलूक किया वह नाक़ाबिले फ़रामोश है । हज़रत आइशा (रज़ि०) ने नबी करीम (सल्ल०) से दरयाफ़्त किया, क्या उहुद के दिन से ज़्यादा तकलीफ़देह दिन आप पर गुज़रा है ? फ़रमाया : तेरी क़ौम ने यौमे उक़बा को जो तकलीफ़ें पहुंचाई वे बहुत सख़्त थीं (यानी) जिस दिन सक़ीफ़ के सरदारों अब्द या लैल आदि को दावत दी और उन्होंने जो सलूक मेरे साथ रखा वह बड़ा तकलीफ़देह था ।

आप (सल्ल०) ने मुसीबतों, कठिनाइयों व दुख से भरी उस घड़ी में भी बर्दाश्त और हौसले की वह अज़ीम मिसाल क़ायम की कि शायद इन्सानी इतिहास ऐसी अद्वितीय मिसाल पेश करने में असमर्थ हो । पहाड़ों के फ़रिश्ते ने नबी करीम (सल्ल०) की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा–'अगर आप फ़रमाएं तो पहाड़ों को मैं औंधा गिरा दूं, और अगर आप चाहें तो मैं उन्हें ज़मीन में ग़र्क़ कर दूं ।' रहमते मुजस्सम (साक्षात रहमत) ने फ़रमाया–'मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोगों को पैदा फ़रमाया जो अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को उसके साथ शरीक न करेंगे ।'

हिजरत के नवें साल इसी तायफ़ की वादी के सरदारों पर आधारित एक प्रतिनिधिमंडल आप (सल्ल०) के पास हाज़िर हुआ । प्रेम तथा स्नेह के सायबान इस अंदाज़ में तान दिये गये कि उनके वास के लिए सबसे उत्तम स्थान मस्जिदे नबवी में ख़ेमे नस्ब कर दिये और उनका ख़ूब आदर-सत्कार किया गया ।

इसके विपरीत आपके साथ कुव्यवहार की एक घटना देखिए ।

हज़रत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नजरान की बनी हुई चादर नबी अकरम (सल्ल०) लिए हुए थे । एक बद्दू ने उस चादर को इतनी ज़ोर से खींचा कि आपकी मुबारक गर्दन पर निशान पड़ गये । बद्दू कहने लगा–'अल्लाह का माल जो आपके पास है, उसमें से मुझे भी हिस्सा दें ।' इस घटिया हरकत को बर्दाश्त करते हुए आप मुस्करा कर ख़ादिम को हुक्म देते हैं कि इसे माले ग़नीमत में से कुछ अता करें ।

इस कायनात में यक़ीनन सबसे मुश्किल काम ताक़त व क्षमता रखने के बावजूद किसी ज़्यादती को बर्दाश्त करके मुस्करा देना है–और बेशक आपकी मुबारक ज़िन्दगी की विशिष्टताओं और गुणों में से एक गुण बेमिसाल सहनशीलता है । एलाने नुबूवत के बाद मक्की और मदनी ज़िन्दगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें इस्लाम-दुश्मनों ने हर मुमकिन तौर पर इस्लाम, मुसलमानों और पैग़म्बरे इस्लाम पर ज़ुल्म व ज़्यादती में कोई कसर छोड़ी हो । लेकिन आप (सल्ल०) हमेशा क़ुरआन पाक की शिक्षाओं का साक्षात नमूना बने रहे । प्रत्येक जिस्मानी और ज़बानी यातना का जवाब संयम, धैर्य तथा शालीनता से दिया । क़ुरआन पाक ने सब्र (संयम, धीरज) को तमाम आज़माइशों के लिए कारगर नुस्ख़ा बताया है–

'और हम ज़रूर तुम्हें भय, भूख, जान-माल के नुक़सान और आमदनियों के घाटे में मुब्तिला करके तुम्हारी परीक्षा लेंगे । इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ़ हमें पलटकर जाना है ।'

इसी तरह एक और स्थान पर अल्लाह ने सब्र करने वालों को अपनी मदद का यक़ीन दिलाया है । क़ुरआन में है–'बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ।' (सूरह-2, आयत-153)। मुसलमानों को हर क़िस्म के हालात का मुक़ाबला करने के लिए सब्र और नमाज़ से मदद हासिल करने का दर्स दिया गया है । क़ुरआन में है–'और

सब्र व नमाज़ से मदद लो ।' (सूरह-1, आयत-45)

मुस्लिम समाज में शांति एवं भाईचारे की स्थापना के लिए एक-दूसरे को निरंतर हक़ और सब्र (सत्यवादिता एवं धैर्य-धीरज) की दीक्षा देने का हुक्म दिया गया है । 'एक दूसरे को हक़ और सब्र की नसीहत करते रहो ।'

(सूरह अस्र, आयत-3)

संयम और सब्र की परिभाषा विद्वानों ने इस तरह की है कि तकलीफ़देह और यातनापूर्ण हालात में भी इन्सान अपने आपको बेक़ाबू होने दे ।

उपरोक्त वर्णित आयत कुरआनी जीवन-व्यवस्था के बारे में सकारात्मक इन्सानी और नैतिक रवैयों की तामीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम को इंगित करती है, जिसका निहितार्थ यह है कि किसी व्यक्ति या क़ौम की तरफ़ से जुल्म-ज़्यादती होने की सूरत में तथासंभव संयम, धैर्य का प्रदर्शन किया जाए । ये शिक्षाएं किसी क़िस्म की कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करतीं बल्कि इनका अस्ल मक़सद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति-स्थापना के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है । किसी एक पक्ष की उत्तेजक हरकतों पर दूसरे पक्ष की वैसा ही प्रतिक्रिया न सिर्फ़ अम्न व शांति के लिए घातक है बल्कि कभी-कभी ऐसे रवैयों की भारी क़ीमत चुकानी पड़ती है ।

जंग का मैदान हो या जंगी क़ैदियों की क़िस्मतों का फ़ैसला, गले में कपड़ा डालकर खींचने वाले बद्दू का हाथ हो या रास्ते में कांटे बिछाने की कार्रवाई या ऐन जंग के मौक़े पर साथ छोड़ने वाले मुनाफ़िक़ीन, अनुचित बातें कहने वाली ज़बानें हों या समझौतों को भंग करने वाले पक्ष-आदर्श मानव और मानवता के उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) प्रत्येक चरण पर ऐसी सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं कि जुल्म-ज़्यादती करने वाला शर्मिन्दा हो जाता है और आपका अनुयायी बन जाता है । सब्र व बर्दाश्त ऐसी ख़ूबसूरत भावना है कि जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर प्रतिष्ठा तथा महानता का स्थान प्राप्त करती है और इसी भावना से जानी दुश्मनों के दिल जीते जा सकते हैं । यह भावना यदि व्यक्तिगत स्तर पर हो तो मानवीय व्यक्तित्व के गिर्द रौब व दबदबे का विशाल घेरा बनाती है, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर हो तो विश्व बिरादरी में ऐसी पहचान प्रदान करती है कि जिसका प्रभाव पुख़्ता और स्थाई होता है । कुरआन फ़रमाता है–

'तुम्हारा भला होता है तो उन्हें बुरा मालूम होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये खुश होते हैं । मगर उनकी कोई तदबीर तुम्हारे ख़िलाफ़ कारगर नहीं हो सकती, बशर्ते कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डरकर काम करते रहो । जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है ।' (सूरह आले इमरान, आयत-120)

जब आप (सल्ल०) ने मक्का फ़त्ह किया तो आप ज़ालिमों से एक-एक जुल्म का बदला ले सकते थे । इसके बावजूद रहमते आलम (सल्ल०) ने संयम व सहिष्णुता का वह नमूना पेश किया जिसकी मिसाल पूरे मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलती । आप (सल्ल०) ने पैग़म्बराना प्रताप के साथ सबकी ओर देखकर फ़रमाया–

'मेरी तरफ़ से तुम पर कोई गिरफ़्त नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और वह सबसे ज़्यादा रहम फ़रमाने वाला है । जाओ ! मेरी तरफ़ से तुम आज़ाद हो ।'

दुश्मनों से इन्तिक़ाम लेना इन्सानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है–और ख़ासतौर पर उन लोगों से जिन्होंने घर छीन लिया हो, जीना दूभर कर दिया हो, वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो, प्रियजनों का ख़ून किया हो । लेकिन विजयी होकर बर्दाश्त, संयम तथा सहिष्णुता से काम लेकर ख़ून के प्यासों को माफ़ करके विश्व इतिहास पर 'रहमते आलम' (विश्व भर के लिए साक्षात करुणा, दया) के स्थायी चिन्ह छोड़े । सअद बिन अबादा की तरफ़ से जब यह आवाज़ आयी–'आज का दिन रक्तपात का दिन है' तो नबी करीम (सल्ल०) ने फ़रमाया–'सअद ने ग़लत कहा है, आज का दिन रहमत का दिन है ।'

दरअस्ल शख़्सियत का हुस्न व कमाल ज़बरदस्त सहनशक्ति, संयम एवं सहिष्णुता में छुपा हुआ है । मारधाड़, विध्वंस व बर्बादी में नहीं । बर्दाश्त, धैर्य तथा शालीनता से दिल जीते जाते हैं, इसके विपरीत वक़्ती तौर पर भय एवं आतंक का वातावरण क़ायम करके काम तो निकाला जा सकता है लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि तबाही हर ओर फैलकर समाज को तबाह कर देती है । इसलिए सही

(शेष पृष्ठ 38 पर)

काम नहीं चलता 'के' के बिना

■ डॉ॰ किशोर पवार

हमारे शरीर में कुल मिलाकर लगभग 40 विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं । इसमें एक है, विटामिन 'के' । यह खून को बहने से रोकने में मदद करता है । यह तो हम सभी ने देखा है कि शरीर में कहीं चोट लगने से निकलने वाला रक्त कुछ देर में स्वयं ही जम जाता है । यह प्रक्रिया जितनी अनूठी है, उतनी ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी । यह प्रक्रिया विटामिन 'के' के कारण ही संभव होती है ।

विटामिन 'के' दो प्रकार के होते हैं, विटामिन के-1 और विटामिन के-2 । विटामिन के-1 हमरी सब्ज़ियों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है । यह पीला तैलीय पदार्थ जैसा होता है । विटामिन के-2 पीला मोम जैसा पदार्थ होता है, जो जीवाणुओं द्वारा ही उत्पन्न होता है । यह शरीर में आंतों में उपस्थित जीवाणुओं से तैयार होता है । ये वे जीवाणु हैं जो इस महत्वपूर्ण विटामिन की शरीर में बराबर आपूर्ति तैयार करते रहते हैं ।

रक्त शरीर का एक ऐसा द्रव है जो उसके विभिन्न अंगों के बीच बराबर संपर्क बनाए रखता है । आंशिक रूप से तरल और आंशिक रूप से ठोस रक्त शरीर की परिसंचार प्रणाली (सर्क्यूलेटरी सिस्टम) का मुख्य भाग है । रक्त के तरल अंग प्लाज़्मा (यह किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है) के ज़रिए ऑक्सीजन, लवण और खाद्य पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं ।

विटामिन 'के' हमारे शरीर में गुर्दे द्वारा तेरह प्रकार के रक्त के घटकों को 'फलोरिंग' करता है । यदि किसी कारणवश शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो रक्त के थक्के बांधने में योगदान देने वाले तीन घटकों में कमी आ जाती है और चोट लगने आदि पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है । यह स्थिति घातक हो सकती है । ज़्यादा चोट लग जाने पर खून का बहना यदि शीघ्र बंद नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होता है । विटामिन के-1 और के-2 वसा (फैट) में घुलनशील होते हैं, इसलिए शरीर में ये चर्बी में ही घुलकर रहते हैं । इसकी कमी का प्रभाव पाचन क्रिया, वसा व त्वचा द्वारा तेलों की सोखने की क्षमता पर भी दिखायी पड़ता है । ये दोनों विटामिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हैं । इन्हें टेबलेट या इंजेक्शन द्वारा लिया जा सकता है ।

आख़िर शरीर में विटामिन 'के' की कमी क्यों हो जाती है ? क्योंकि यदि पूरा खाना न भी खाएं । तब भी यह विटामिन शरीर में आंत में उपस्थित जीवाणुओं में पूरी हो जाती है । तब क्यों कमी होती है ? इसके लिए इंटीबायोटिक्स दवाइयां (जीवाणुनाशक दवाई) भी ज़िम्मेदार हैं । अगर कोई ताक़तवर एंटीबायोटिक्स दवा लंबे समय तक खाई जाए तो ऐसा हो सकता है । क्योंकि एंटीबायोटिक्स से आंत में विटामिन के पैदा करने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं ।

विटामिन 'के' की कमी से कई बार गुर्दे के रोग भी प्रकाश में आये हैं । कभी-कभी नवजात शिशुओं में भी इसकी कमी देखी जाती है । ऐसा तब होता है जब शिशु को मां के दूध से बहुत कम विटामिन 'के' मिले । लेकिन विटामिन 'के' एक दुधारी तलवार की तरह है । यदि इसकी कमी घातक है तो अधिकता से शरीर की स्वस्थ रक्त वाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं । इससे फेफड़ों, मस्तिष्क व दिल को गंभीर क्षति पहुंचा सकती हैं । इस स्थिति से भी मुक्ति दिलाने के लिए भी बाज़ार में आज दवाइयों की कमी नहीं है ।

विटामिन 'के' की सर्वाधिक मात्रा पत्तागोभी में पायी जाती है । कुल 100 ग्राम पत्ता गोभी में इसकी मात्रा 3200 माइक्रोग्राम (1000 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम के बराबर होता है) होती है । जबकि गाजर में 100, मटर में 100 से 300, टमाटर में 400, आलू में 28 व गाय के दूध में 2 तथा अंडे में 20 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम में पायी जाती है । एक वयस्क व्यक्ति को रोज़ाना लगभग 4000 माइक्रोग्राम, 10 साल के बच्चे को 1000 से 2000 माइक्रोग्राम व एक साल से कम शिशु को 500 से 100 माइक्रोग्राम विटामिन की

आवश्यकता होती है जो आहार द्वारा आसानी से पूरी की जा सकती है । आप इसकी आवश्यक मात्रा अपने आहार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं ।

मूंगफली ज़रूर खाएं मगर...

मूंगफली को यदि ग़रीब लोगों का बादाम कहा जाए तो ग़लत न होगा, क्योकि ग़रीब आदमी बादाम नहीं खा सकता । मूंगफली में प्रोटीन के साथ बहुत से विटामिन पाए जाते हैं ।

मूंगफली बारहों महीने ट्रेनों, बसों, नुक्कड़ चौराहों, रेलवे स्टेशनों व बस स्टेशनों आदि पर मिल जाएगी । मूंगफली खाने में स्वादिष्ट सर्दियों के मौसम में ही लगती हैं । मूंगफली की फ़सल नवम्बर के आसपास तैयार होती है और इसकी अधिक बिक्री सर्दी के मौसम में होती है, क्योंकि सर्दियों में लोग चलते-फिरते गरम-गरम मूंगफली खाना अधिक पसन्द करते हैं । यह दो तरह से बिकती है एक छिलके के साथ दूसरी छिली हुई । अधिकांश लोग छिलके वाली मूंगफली अधिक पसन्द करते हैं ।

भूखे होने पर मूंगफली पेट की भूख को कुछ हद तक शांत कर देती है । यह टाइम पास करने का अच्छा साधन भी है । अक्सर लोग ट्रेन या बस में सफ़र करते समय या इन्तिज़ार करते समय इसको खाना पसन्द करते हैं, क्योंकि व्यस्त रहने पर इसको खाना टेढ़ी खीर है ।

मूंगफली से कुछ नुक़सान भी है । इसके छिलके से गन्दगी फैलती है और लोग इसे जहां-तहां फेंक देते हैं । ख़ासकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि में इससे छिलकों से अच्छी-ख़ासी गन्दगी फैलती है । ट्रेनों में भी इसके छिलके बिखरे पड़े रहते हैं । यह सारी गन्दगी बस ज़रा-सी लापरवाही के चलते होती है । अगर लोग मूंगफली खाते समय थोड़ी सावधानी बरतें तो गन्दगी से बचा जा सकता है । मूंगफली खाने के बाद छिलके को एक जगह किनारे रखना चाहिए और बाद में वहां से उठाकर कूड़ेदान में डस्टबिन में डाल देना चाहिए । अगर कूड़ादान न हो तो भी छिलके को एक किनारे रखना चाहिए । इससे साफ़-सफ़ाई बनी रहेगी, सफ़ाई करने वाले को आसानी होगी और कूड़े से किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा । इसलिए हम कहेंगे मूंगफली ज़रूर खाएं मगर छिलके इधर-उधर न फेंके ।

दिल का दौरा क्यों ?

हाल में न्यू आर्लियंस में हुई अमेरिकी हृदय संस्था की बैठक में बताया गया कि जैसा कि समझा जाता है, दिल का दौरा हमेशा उच्च रक्तचाप तथा कोलेस्ट्रॉल के कारण ही नहीं होता । हाल के अनेक अध्ययनों से मालूम हुआ है कि दिल का रोग विषाणुओं या जीवाणुओं से भी बढ़ सकता है ।

उत्तरी केरोलायना विश्वविद्यालय के डॉ० एफ्थीमोस ने देखा कि दिल के दौरे के 85 प्रतिशत रोगियों की गंभीर रूप से मसूड़ों का रोग था । इसके विपरीत स्वस्थ रोगियों में केवल 29 प्रतिशत को मसूड़ों का रोग था । शोधकर्ताओं को नहीं मालूम कि मसूड़ों के रोग का हृदय से क्या संबंध है, लेकिन एक संभावना यह हो सकती है कि रोगग्रस्त मसूड़ों से प्रतिरक्षण (इम्यून) प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हृदय की धमनियों में थक्का जम सकता है ।

मीत कर गए सभी किनारा

रोते हैं अब हाली-पाली,
हाथ हो गये उनके ठाली ।
है किसान की क़िस्मत माड़ी,
चले क़र्ज़ में उसकी गाड़ी ।
धूल फांकता, खाता रेती,
उसके हक़ पर पड़े डकैती ।
जोत हो गयी अब तो छोटी,
मुश्किल में अब उसकी रोटी ।
सरकारें भी सुध न लेती,
घाटे का सौदा अब खेती ।
क्यों किसान की काया नंगी,
ऊपर से पैसे की तंगी ।
हरित क्रांति को लाने वाला,
उसके मुख से दूर निवाला ।
कैसे मिलेगी दाल-रोटी,
महंगाई ने काटी चोटी ।
घर ग़रीब के फांका-मस्ती,
भूख यहां पर बिल्कुल सस्ती ।
दुख का मारा, मैं हूं हारा,
मीत कर गए, सभी किनारा ।

रोहित यादव
सैदपुर, मंडी अटेली (हरि०)

अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए शहीद शेर अली आफ़रीदी ने

■ विष्णु शर्मा

बिस्मिल, आज़ाद और भगत सिंह भी नहीं कर सके जो कारनामा, इस महान क्रांतिकारी ने कर दिखाया । न किसी कोर्स की किताब में इस महान व्यक्ति का ज़िक्र किया गया है और न कोई उनकी जयंती या पुण्यतिथि मनाता है । यहां तक कि क्रांतिकारियों या देशभक्तों की किसी भी सूची में उनका नाम नहीं है । इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन यह भी सच है कि आज़ादी से पहले देश में तमाम बड़े क्रांतिकारियों ने जिसकी योजना बनायी, हमला भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, वह काम उन्होंने अकेले ही अपने दम पर कर दिखाया, बिना किसी संगठन की मदद के । उनका नाम था शेर अली आफ़रीदी ।



शहीद शेर अली आफ़रीदी के कारनामे के महत्व को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि उन्होंने जिस अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या की, वह कितने बड़े पद पर था । आज देश में प्रधानमंत्री की जो हैसियत है, उस वक़्त वही हैसियत अंग्रेज़ी राज के गवर्नर जनरल की होती थी । यह अलग बात है कि वायसराय के रूप में वह ब्रिटेन की सरकार को रिपोर्ट करता था । शेर अली आफ़रीदी ने उस वक़्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, जो वास्तव में पूरे अंग्रेज़ी राज के लिए एक बड़ा झटका था । देश में उस वक़्त अगर सबसे ज़्यादा किसी की सिक्योरिटी थी, तो वह गवर्नर जनरल की ही थी, लेकिन 8 फ़रवरी 1872 ईसवी में शेर अली ने तमाम सुरक्षा बंदोबस्तों को ध्वस्त करते हुए चाक़ू से गोद-गोदकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी ।

लॉर्ड मेयो की हत्या कितना बड़ा काम था, आप इसी बात से जान सकते हैं कि शहीद भगत सिंह ने जिस सांडर्स की हत्या की, वह डी॰एस॰पी॰ स्तर का अधिकारी था, पूणे में चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर स्तर के अधिकारी की हत्या की थी, रासबिहारी बोस और विश्वास ने लॉर्ड हॉर्डिंग के हाथी पर दिल्ली में घुसते वक़्त बम फेंका था, महावत की मौत हो गयी लेकिन हॉर्डिंग बच गया । लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन पर भगवती चरण बोहरा और उनके साथियों ने आगरा से दिल्ली आते वक़्त बम फेंका था, वह बच गया । ऐसे कितने ही क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपनी जान की बाज़ी लगाकर कई अंग्रेज़ अधिकारियों पर हमले किये, कितनों को मौत के घाट उतारा भी, लेकिन कोई उतना सफल नहीं हुआ, जितना शेर अली आफ़रीदी सफल हुए । फिर शेर अली आफ़रीदी को आप या देश की जनता क्यों नहीं जानती और क्यों इतना सम्मान नहीं देती ?

इसको समझने के लिए आपको शेर अली आफ़रीदी के

बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यह समझना होगा कि अंग्रेज़ी राज में तमाम ऐसे बड़े नाम थे, जो देशभक्त होने के बावजूद अंग्रेज़ी राज को क्रांतिकारियों की तरह एकदम जड़ से उखाड़ने के समर्थक नहीं थे । खुद कांग्रेस पार्टी ने स्थापना के 45 साल बाद 1930 ईसवी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात की, खुद महात्मा गांधी जी ने पहली बार 1942 में जाकर 'भारत छोड़ो' का नारा दिया । गांधी जी से तो क्रांतिकारियों का झगड़ा ही इस बात का था कि क्यों न 1914 ईसवी के प्रथम विश्व युद्ध और 1939 ईसवी के दूसरे विश्व युद्ध को मौक़ा मानकर अंग्रेज़ों पर अन्दर से ही हमला बोल दिया जाए ।

गांधी जी अंग्रेज़ों की मजबूरी का लाभ उठाने के सख़्त ख़िलाफ़ थें । बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में तो खुद गांधी जी ने अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने के लिए भारतीय युवाओं से आह्वान किया था, तब लोग उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेन्ट कहने लगे थे । गुरुदेव टैगोर, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी जैसे तमाम कांग्रेसी नेताओं पर सरकारी उपाधियां थीं । कांग्रेस को एक अंग्रेज़ ए०ओ० ह्यूम ने ही शुरू किया था और पहले ही सेशन में वायसराय डफ़रिन ने पूरी कांग्रेस को दावत दी थी ।

ऐसे में शेर अली आफ़रीदी का राजा राममोहन राय या वंदे मातरम् लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह अंग्रेज़ी सरकार की नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं थी । 1857 ई० के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले नाना साहेब के दीवान अज़ीमुल्लाह ख़ान और आज़ाद हिन्द फ़ौज को खड़ी करने वाले कमांडर मोहन सिंह भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाने से पहले ईमानदारी से अंग्रेज़ी सरकार की नौकरी निभा रहे थे ।

शेर अली आफ़रीदी पेशावर के अंग्रेज़ी कमिश्नर के कार्यालय में काम करते थे और ख़ैबर पख़्तून इलाक़े के रहने वाले पठान थे । वे अंबाला में ब्रिटिश घुड़सवारी रेजीमेंट में भी काम कर चुके थे । यहां तक कि 1857 ई० के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रूहेलखंड और ओढ़ के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ़ से हिस्सा भी ले चुके थे । अंग्रेज़ी कमांडर रेनेल टेलर उनकी बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उनको तोहफ़े में एक घोड़ा, एक पिस्टल और बहादुरी का बख़ान करते हुए एक सर्टिफ़िकेट भी दिया ।

जिस तरह अज़ीमुल्लाह ख़ान कानपुर में अंग्रेज़ों और यूरोपियों के बीच लोकप्रिय थे, उसी तरह पेशावर के यूरोपीय शेर अली आफ़रीदी को भी काफ़ी पसन्द करते थे । टेलर ने तो उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा में लगा दिया । तब तक अंग्रेज़ी राज उन्हें बुरा नहीं लगता था, देश और देश भक्ति क्या है शायद उन्हें पता नहीं था, स्वामीभक्ति और बहादुरी की भावनाओं से लबालब थे वे, लेकिन जिस तरह गांधी जी को साउथ अफ़्रीका में ट्रेन से उतारने पर उनको नस्लभेद के ख़िलाफ़ गुस्सा आया, जिस तरह करतार सिंह सराभा ने सेन फ़्रांसिस्को में अपमान झेला और गदर आन्दोलन से जुड़े, जिस तरह लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसने से कई क्रांतिकारियों का ख़ून खौल उठा, ठीक वैसा ही शेर अली आफ़रीदी के साथ हुआ ।

एक ख़ानदानी झगड़े में शेर अली आफ़रीदी पर अपने ही रिश्तेदार हैदर का क़त्ल करने का आरोप लगा । उन्होंने पेशावर में मौजूद अपने सभी अधिकारियों के सामने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें 2 अप्रैल 1867 ईसवी को मौत की सज़ा सुना दी गयी । उनका भरोसा अंग्रेज़ी अधिकारियों से और अंग्रेज़ी राज से एकदम उठ गया । उनको लगा कि जिनके लिए उन्होंने न जाने कितने अनजानों और बेगुनाहों के क़त्ल किये, आज वे ही उन्हें बेगुनाह मानने को तैयार नहीं थे । पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि कभी भी किसी अंग्रेज़ पर क़त्ल का मुक़दमा चलने से पहले ही उन्हें ब्रिटेन वापस भेज दिया जाता था, लेकिन आज उन्हें बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वे अंग्रेज़ नहीं बल्कि भारतीय हैं ।

उन्होंने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की, हायर कोर्ट के जज कर्नल पॉलाक ने उनकी सज़ा घटाकर आजीवन कारावास में बदल दी और उन्हें काला पानी अर्थात अंडमान निकोबार भेज दिया । तीन से चार साल सज़ा काटने के दौरान उनकी तमाम क्रांतिकारियों से काला पानी की जेल में मुलाक़ात हुई, हालांकि उस वक़्त तक क्रांतिकारी आन्दोलन इतना भड़का नहीं था, फिर भी अंग्रेज़ विरोधी भावनाएं मज़बूत हुईं, जो भी लोग क़ैद थे उनमें से ज़्यादातर अंग्रेज़ी राज के दुश्मन थे । जेल में उनके अच्छे व्यवहार की वजह से 1871 ईसवी में उन्हें पोर्ट ब्लेयर पर नाई का काम करने की इजाज़त दे दी गयी, एक तरह की ओपन जेल थी

वह, लेकिन वहां से भागने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था।

हालांकि उन्होंने अंग्रेज़ी राज को दी गयी अपनी सेवाओं के बारे में लिखते हुए वायसराय से अपील की थी कि उनकी बाक़ी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन वायसराय ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी। इससे उनके मन में वायसराय को लेकर काफ़ी गुस्सा था, वे साफ़ देख रहे थे कि छोटे से छोटे अंग्रेज़ी सैनिक को बड़े से बड़े जुर्म के बावजूद कोई सज़ा नहीं दी जाती थी, और उन्हें काला पानी भेज दिया गया था, तिल-तिलकर मरने के लिए। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें दो व्यक्तियों की हत्या करनी है एक उनका सुपरिटेंडेंट और एक अंग्रेज़ी राज का वायसराय।

उन्हें यह मौक़ा मिल भी गया, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल के क़ैदियों के हालात जानने और सिक्योरिटी इन्तिज़ामों की समीक्षा करने के लिए वहां का दौरा करने का मन बनाया। शाम सात बजे का वक़्त था, लॉर्ड मेयो अपनी बोट की तरफ़ वापस आ रहा था। लेडी मेयो उस वक़्त बोट में ही उसका इंतिज़ार कर रही थीं। वायसराय का कोर सिक्योरिटी दस्ता जिसमें 12 सिक्योरिटी आफ़िसर शामिल थे, वे भी साथ-साथ चल रहे थे।

इधर शेर अली आफ़रीदी ने उस दिन तय कर लिया था कि आज अपना मिशन पूरा करना है, जिस काम के लिए वे सालों से इंतिज़ार कर रहे थे, वह अवसर आज उन्हें मिल गया है और शायद सालों तक दोबारा नहीं मिलना है। वे खुद चूंकि इसी सिक्योरिटी दस्ते का सदस्य रह चुके थे, इसलिए बेहतर जानते थे कि वे कहां चूक करते हैं और कहां लापरवाह हो जाते हैं। हथियार उनके पास था ही, उनके नाई वाले काम का ख़तरनाक औजार उस्तरा या चाकू। उनको मालूम था कि अगर वायसराय बच गया, तो मिशन भी अधूरा रह जाएगा और उनका भी बुरा हाल होगा, वैसे भी उन्हें यह तो पता था कि यहां से बच निकलने का तो कोई और रास्ता है ही नहीं।

वायसराय जैसे ही बोट की तरफ़ बढ़ा, उसका सिक्योरिटी दस्ता थोड़ा बेफ़िक्र हो गया कि चलो पूरा दिन ठीक-ठाक गुज़र गया। वैसे भी वायसराय तक पहुंचने की हिम्मत कौन कर सकता है, जैसे कि आज के पी॰एम॰ की सिक्योरिटी भेदने की कौन सोचेगा ! लेकिन उनकी यही बेफ़िक्री उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गयी। पोर्ट पर अंधेरा था, उस वक़्त रोशनी के इंतिज़ाम बहुत अच्छे नहीं होते थे। फ़रवरी के महीने में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, बिजली की तरह एक साया छलावे की तरह वायसराय की तरफ़ झपटा, जब तक खुद वायसराय या सिक्योरिटी दस्ते के लोग कुछ समझते लार्ड मेयो अपने ख़ून में सराबोर हो चुका था। उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। शेर अली को घटना स्थल से ही पकड़ लिया गया, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दहशत फैल गयी। लंदन तक बात पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। जब वायसराय के साथ ऐसा हो सकता है, तो कोई भी अंग्रेज़ हिंदुस्तान में खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता था।

शेर अली आफ़रीदी से जमकर पूछताछ की गयी, उन्होंने मानो एक ही वाक्य रट रखा था, 'मुझे अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, मैंने अल्लाह की मर्ज़ी पूरी की है बस'। अंग्रेज़ों ने काफ़ी कोशिश की यह जानने की कि क्या कोई संगठन इसके पीछे है या फिर कोई ऐसा राजा जिसका राज उन्होंने छीना हो या फिर ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ किसी विदेशी ताक़त का हाथ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि शेर अली ने सेलुलर जेल में जो तीन-चार साल काटे थे, उस वजह से और उनकी नज़रों में अंग्रेज़ों के दोगलेपन की वजह से उनके ब्रेनवॉश की बात की गयी थी। जेल में बंद सारे लोग अंग्रेज़ी सरकार की ख़िलाफ़त करने वाले ही थे। उस वक़्त चल रहे बहावी आंदोलन के भी कुछ अनुयायी उस वक़्त इस जेल में थे।

वहीं, मुस्लिमों को भी इस बात की भी टीस थी कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह की गद्दी क़ब्ज़ा ली थी। कुछ इतिहासकारों ने शेर अली आफ़रीदी को पहला जिहादी बताने की भी कोशिश की है, लेकिन सच यह था कि वे स्वामी भक्त तो थे, लेकिन गुलामी का एहसास उन्हें काफ़ी बाद में जाकर हुआ था, कि कैसे अंग्रेज़ों की हर ख़ता माफ़ और उनकी हर ख़ता पर सज़ा। शेर अली ने अपने बयान में गुलामी और उससे जुड़े बदतर हालात की भी चर्चा की, लेकिन पूरे देश को लेकर उनकी सोच शायद उस वक़्त नहीं बनी थी, क्योंकि वे लड़ाकू तो थे, लेकिन भगत सिंह की

तरह पढ़ाकू नहीं। सबसे ख़ास बात यह थी कि जिस तरह असेंबली बम कांड से पहले भगत सिंह ने अपना हैट वाला फ़ोटो पहले ही खिंचवाकर अख़बारों में भेजने की व्यवस्था की थी, उसी तरह शेर अली ने भी गिरफ़्तारी के बाद अपना फ़ोटो खिंचवाने में काफ़ी दिलचस्पी दिखायी। शायद वे भी इस बात के ख़्वाहिशमंद थे कि पीढ़ियां उन्हें याद रखें कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था। 11 मार्च 1873 ईसवी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वाइपर आइलैंड की जेल में उनको फांसी दे दी गयी।

जेल में उनके सेल के साथियों से भी पूछताछ की गयी। एक क़ैदी ने बताया कि शेर अली आफ़रीदी कहता था कि अंग्रेज़ देश से तभी भागेंगे, जब उनके सबसे बड़े अधिकारी को मारा जाएगा और वायसराय ही सबसे बड़ा अधिकारी था। उसकी हत्या के बाद वाक़ई वे ख़ौफ़ में आ गये, इसीलिए न केवल इस ख़बर को ज़्यादा तवज्जो देने से बचा गया, बल्कि शेर अली को भी चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया। 'लंदन टाइम्स' के जिस रिपोर्टर ने उस फांसी को कवर किया था, वह लिखता है कि जेल अधिकारी ने आख़िरी इच्छा जैसी कोई बात उनसे पूछी थी, तो शेर अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, 'नहीं साहब'। लेकिन फांसी से पहले उन्होंने मक्का की तरफ़ मुंह करके नमाज़ ज़रूर अदा की थी।

अंग्रेज़ों की तरह ही बाक़ी भारतीय इतिहासकारों ने भी शेर अली के इस काम को व्यक्तिगत बदला माना, किसी ने यह नहीं सोचा कि बदला लेना होता, तो वे गिरफ़्तार करने वाले आफ़िसर या सज़ा देने वाले जज से लेते, सीधे वायसराय का ख़ून क्यों करते ? वे क्यों अंग्रेज़ों को भारत से निकालने लायक़ ख़ौफ़ उनके मन में पैदा करने के लिए वायसराय के कत्ल का अपना सपना अपने साथी क़ैदियों को बताते ? जो भी हो लॉर्ड मेयो की यांद में उसी साल खोज किये गये एक नये द्वीप का नाम रख दिया गया।

दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में भी एक वीर बासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज़ों पर अपनी युवा सेना के ज़रिए क़हर ढा रहे थे, उन्हें भी हमारे इतिहासकार सालों तक डकैत ही कहते रहे। शेर अली आफ़रीदी का नाम तो इतिहास के छात्रों को भी पता हो, तो हैरत की बात है।

(पृष्ठ 32 का शेष)

और दुरुस्त तरीक़ा वही है जिसकी कुरआन व सुन्नत ने शिक्षा दी है और आप (सल्ल०) ने उस पर अमल करके दिखाया है, जैसा कि अल्लाह का हुक्म है–

'अलबत्ता जो शख़्स सब्र से काम ले और दरगुज़र करे, तो बड़े साहस के कामों में से है।' (सूरह शूरा, आयत-43)

एक शख़्स आप (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत फ़रमाइए। आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–गुस्सा न किया करो। उस शख़्स ने कहा कि कुछ और नसीहत फ़रमाइए आप (सल्ल०) ने फिर यही फ़रमाया कि गुस्सा न किया करो, और कई बार यही बात दोहराई। संयम, धैर्य, सहिष्णुता एवं सदाशयता की सबसे बड़ी मिसाल वह क्रांति है जो 23 वर्षों में बरपा हुई। जिसके लिए आप (सल्ल०) ने मदीने की ज़िन्दगी में 27 संग्राम किये और ग़ज़वात व सराया की शक्ल में कुल 72 जंगें लड़ी गयीं। इन्सान सोचता है कि इतने संघर्षों में कितना ख़ून-ख़राबा हुआ होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस इस्लामी इन्क़िलाब में सभी पक्षों के सिर्फ़ 918 लोगों की जानें गयीं। कौन कह सकता है कि इससे बड़ी रक्तहीन क्रांति आज तक दुनिया में कभी आयी हो, जिसके ज़रिए इन्सान का ज़ाहिर व बातिन और राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था सब कुछ बदल जाए।

इसके मुक़ाबले में अन्य क्रांतियों के हाल सबको मालूम हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मृतकों की तादाद 64 लाख और दूसरे विश्व युद्ध में यह तादाद साढ़े तीन करोड़ से ज़्यादा थी। लेकिन नबी करीम (सल्ल०) के इन्क़िलाब का आधार मानवजाति का उद्धार था। इसमें संयम, धैर्य, सहिष्णुता, परोपकार की भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मानवता का क़ाफ़िला इस्लामी आन्दोलन के धारे में बहता चला गया और दावते हक़ की खेती फलती-फूलती चली गयी।

यह हक़ीक़त है कि तलवार सिर काटती है और संयम व बर्दाश्त दिल जीतता है। तलवार की पहुंच गले तक और सहिष्णुता, उदारता की पहुंच दिल की गहराई तक होती है। जहां तलवार नाकाम होती है वहां सदाशयता, शालीनता का झंडा बुलंद होता है। तीर-तलवार की ताक़त से ज़मीन तो छीनी जा सकती है, मगर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। दिलों को हाथ में लेने के लिए ज़रूरत है मुहसिने आज़म (मानवता के महानतम उद्धारक) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के आदर्श चरित्र आचरण की।

उजड़ी बस्ती का मुसाफ़िर

■ मुहम्मद तारिक़

शहर में वह उस बस्ती से आया था जो तबाह कर दी गयी थी । बस्ती तबाह होने से पहले कुछ लोग समाज सुधारक के भेस में आये थे । न जाने वह बस्ती में क्या सुधार करना चाहते थे, बस्ती में तो सब ठीक-ठाक था, किसी भी क़िस्म का पक्षपात, घृणा न था सब आपस में प्रेम व भाईचारे से रहते थे ।

जब देश का बटवारा हुआ था, धर्ती के इन्सान सीमाओं में बट गये थे । ख़ानदान बिखर गये थे । रिश्तेदारियां सिसक-सिसक कर दम तोड़ चुकी थी, इन्सानियत का रिश्ता भी तक़सीमे-मुल्क की भेंट चढ़ चुका था । मज़हब के व्यापारी, धर्म के ठेकेदार और सियासत के ताजिर फ़सादात की आग में अपनी रोटियां सेंक रहे थे । हर तरफ़ मारकाट जारी थी, ख़ून-ख़राबे का बाज़ार गर्म था तब भी उस बस्ती में अमन था, हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरे के हमदर्द, रफ़ीक़ और ग़मगुसार थे ।

बस्ती में एक ही मस्जिद थी हिन्दू उसका सम्मान किया करते थे । घर का कोई बीमार हो जाता, गिलास में पानी लेकर नमाज़ियों से उस पर दम करवाने के लिए मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े रहते थे ।

एक रात उस मस्जिद के सहन में किसी ने सूअर काट कर डाल दिया । फ़ज्र की नमाज़ के लिए आये मुसलमानों ने देखा, लोगों के अन्दर गुस्से की आग नहीं भड़की । मुअज़्ज़िन की मदद से सूअर को उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक दिया और मस्जिद के सहन को धोकर नमाज़ पढ़ाई ।

नमाज़ अदा करने के बाद मुसल्लियान जब मस्जिद से बाहर आये तो देखा कि कटे हुए सूअर के पास बस्ती के कुछ हिन्दू खड़े थे । एक ने नमाज़ियों को मस्जिद से निकलते देखकर पूछा, "मस्जिद के रास्ते पर किसने सूअर काट कर डाल दिया ? अपने गांव में तो सूअर नहीं है !"

"यह सूअर मस्जिद के अन्दर किसी ने काट कर डाल दिया था, हमने बाहर फेंक दिया ।" इमाम साहब पुरएतिमाद लहजे में हिन्दुओं से मुख़ातिब हुए "हमें विश्वास है कि यह हमारी बस्ती के किसी हिन्दू का काम नहीं, यह उन लोगों की साज़िश लगती है जो हमारी बस्ती का भाईचारा ख़त्म करके दंगे की आग भड़काना चाहते हैं !"

"हां...हां, इमाम साहब ! आप सोलह आने सच कह रहे हैं । यह अपनी बस्ती का भाईचारा ख़त्म करने वाले उन अधर्मियों का ही काम है जो दंगे की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी साज़िश कामयाब नहीं होने देंगे ।" एक हिन्दू जिसका नाम लक्षमण था जज़्बाती लहजे में बोला ।

"हां...हां लक्षमण जी सच कह रहे हैं" बस्ती के कुछ हिन्दू जो सवेरे-सवेरे अपने खेतों पर जाने के लिए घरों से निकले थे लक्षमण जी की हिमायत में कहने लगे ।

लक्षमण जी का शुमार बस्ती के बड़े ज़मीनदारों में होता था । हिन्दू-मुस्लिम दोनों समाज में लक्षमणजी की इतनी इज़्ज़त थी कि वह बिना चुनाव के बस्ती के सरपंच बने थे, उन्होंने रास्ते में खड़ी बैलगाड़ी वाले से कहा, "सुरेश ! अपनी बैलगाड़ी में उस सूअर को डालकर बस्ती से बाहर फेंक दे !"

"नहीं..., रहने दीजिए, हम फ़िक्वा देंग !" इमाम साहब कहने लगे "नहीं इमाम साहब ! हम फेंक देंगे ।" फ़ौरन दो हिन्दुओं ने सूअर को उठाया, बैलगाड़ी में डाल दिया...सुरेश ने उसे बस्ती से बाहर फेंक दिया । इस तरह फ़सादियों की दंगा कराने की साज़िश नाकाम हो गयी । साज़िश नाकाम हुए अभी चंद दिन ही हुए थे कि एक रात जब सारी बस्ती सोई हुई थी कि अचानक बिजली गुल हो गयी । बस्ती अंधेरे में डूब गयी और फिर अंधेरा शोर से भर गया । नफ़रत से भरे, हिंसक नारों ने बस्ती के आसमान को सर पर उठा लिया, चीख़ व पुकार का बाज़ार गर्म हो गया ।

वह बिस्तर से उठ बैठा, फ़ौरन आंगन में आया, देखा, आसपास के मकानात से शोले उगल रहे थे, धुएं के कसीफ़ बादल सरकश शयातीन की तरह फ़िज़ा में नाच रहे थे...भय के मारे उसका रुवां-रुवां कांप उठा । हिंसा भरे नारों का शोर अब उसकी दहलीज़ तक आ गया था...फिर दरवाज़ा पिटा

जाने लगा । उसे गालियां दी जाने लगीं, अश्लील, गन्दी गालियां...उसका दिल कानों में धड़कने लगा, बदन पसीने में बहा गया और गला सूख कर कांटा बन गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए भागे तो कहां भागे ?!

उसका अपना घर जहां वह पैदा हुआ था, पला-बढ़ा था, जीवन के तीस साल गुज़ारे थे । पल भर में ही पराया लगने लगा । एक कारागार असुरक्षित रक्षा स्थल !

दंगाइयों ने उसके घर के मज़बूत दरवाज़े को तोड़ने की नाकाम कोशिश की थी, फिर उन्होंने दरवाज़े को आग लगा दी । वह अपने घर के जलते हुए दरवाज़े को देखकर फ़ौरन घर के पिछवाड़े गया, पिछवाड़े की दीवार से खेत लगे हुए थे । वह पीछे की दीवार फांद कर खेतों में भागने लगा, एहसासे तंआकुब के तहत उसने पलट कर देखा उसके घर से भी शोले निकल रहे थे...।

वह अरहर, जवार कपास के घने खेतों को पार करते हुए नाक की सीध से बेतहाशा भागे जा रहा था...ना उसे अंधेरे में सांप, बिच्छू का ख़ौफ़ था न किसी जंगली जानवर का डर, ख़ौफ़ था तो सिर्फ़ उन इन्सानों का जो दरिंदे नहीं शैतान बन गये थे क्योंकि दरिंदे भी बिना वजह दूसरे पर हमला नहीं करते । आज ज़िन्दगी में पहली बार माता-पिता की मौत से उसको ढारस बंधी थी । उसके पिता की मृत्यु हार्टअटैक से उस समय हुई थी जब वह बीस साल का था और माता जी परसों कैंसर से दम तोड़ चुकी थीं ।

''अच्छा हुआ मेरे वालिदैन इस बेरहम दुनिया से रुख़सत हो गये, अगर वह ज़िंदा होते तो ?! अगर मेरी अम्मी जान का परसों इन्तिक़ाल न हुआ होता तो ! मैं दंगाइयों से अम्मी की और अपनी जान कैसे बचा पाता । ठीक ही हुआ मेरी अम्मी परसों मर गयीं ।

वह भागते हुए सोच रहा था...दंगाई मेरी बस्ती के नहीं हो सकते...किसी क़ीमत पर नहीं, क्योंकि मेरी बस्ती के सरपंच लक्ष्मणजी दंगे की राजनीति करने वालों के दुश्मन हैं, बस्ती के सारे लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी बात मानते हैं...हां बस्ती के अतराफ़ के कुछ मुतअस्सिब लोग उन्हें पसन्द नहीं करते, यह उनकी कारसतानी हो सकती है, मगर कितनी घिनावनी कारसतानी इन्सानियत को तबाह व बरबाद कर देने वाली साज़िश, जिससे दुनिया के किसी धर्म या मज़हब का कहीं भला हुआ ?

वह भागते-भागते बस्ती से बहुत दूर निकल गया था, उसे अपनी बस्ती के लोग याद आ रहे थे । विनोद, गणेश, प्रभाकर, अब्दुल रफ़ीक़, रहीम ख़ान, मस्जिद के इमाम, मुअज़्ज़िन, मंदिर का पुजारी, पंडित जी, स्कूल जाते हुए बच्चे, खेत के मज़दूर, किसान और लक्ष्मणजी जो उसके हमदर्द थे, जिन्होंने मां के इलाज के लिए उसकी पैसों से मदद की थी ।

क्या वह सब ख़ैरियत से होंगे ? एक अज़यतनाक सवाल ने उसकी रूह को बेचैन कर दिया था और उसके लब कांप उठे थे–या अल्लाह ! तू रहीम है, तू ही करीम है, तू ही ज़बरदस्त हिफ़ाज़त करने वाला है, मेरी बस्ती के सारे लोगों की हिफ़ाज़त फ़रमा ।''

वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते हुए खेतों से निकल कर उस रास्ते पर दौड़ने लगा था जो रेलवे स्टेशन वाले गांव को जाता है । सुबह वह उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया जिस स्टेशन से बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनें गुज़रती हैं । प्लेटफार्म पर क़दम रखते ही उसने ट्रेन को प्लेटफार्म से खिसकते हुए देखा, फ़ौरन दौड़ते हुए दरमियानी बोगी में चढ़ गया जो मुसाफ़िरों से खचा-खच भरी थी । उसे बोगी के दरवाज़े के कोने में थोड़ी-सी जगह मिल गयी जहां वह उकड़ू अपना सर घुटनों में छुपाए बैठ गया ।

ट्रेन पटरियों पर दौड़ती रही और वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं करता रहा ''या अल्लाह, रब्बुल आलिमीन'' तू मेरी और मेरे बस्ती वालों की मदद फ़रमा, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं । वह घुटनी में अपना सर छुपाए रोते हुए अल्लाह के सिफ़ाती नामों के साथ दुआ कर रहा था...दुआ करते-करते उसे याद आया कि हर मुसीबत से हिफ़ाज़त का नबावी नुस्ख़ा आयतलकुर्सी का विर्द है । वह आयतलकुर्सी पढ़ने लगा । कई बार आयतलकुर्सी का विर्द करने के बाद वह उन दुआओं को दोहराने लगा जो कभी उसने मसनून दुआओं की किताब से हिफ़्ज़ की थीं ।

ट्रेन जैसे ही एक स्टेशन पर रुकी, वह बिजली की-सी सुरअत से उठा और फ़ौरन बोगी के गेट से प्लेटफार्म पर कूद गया, जहां ट्रेन से उतरते मुसाफ़िरों का हुजूम था । वह हुजूम का हिस्सा नहीं बना । हुजूम से कन्नी काट कर वह एक बेंच पर जा बैठा क्योंकि उसके पास सफ़र का टिकट नहीं था । उसने बेंच के नीचे पड़ा हुआ रद्दी अख़बार उठाया और अने चेहरे के सामने फैला कर पढ़ने की अदाकारी करते

हुए कनखियों से उस गेट को देखने लगा जहां से मुसाफ़िर स्टेशन से बाहर जा रहे थे । गेट पर टिकटचेकर खड़ा उनकी टिकटें चेक कर रहा था ।

कुछ देर में ट्रेन चली गयी । प्लेटफार्म का रश कम हो गया । टिकटचेकर गेट से चला गया तब वह बेंच से उठा टहलते हुए स्टेशन से बाहर आया । उसके कानों से ज़ुहर की अज़ान की आवाज़ टकराई–''अल्लाहु अकबर...अल्लाहु अकबर...''।

अज़ान की आवाज़ सुनते ही उसके दिल से बेबसी, मायूसी, बेकसी की भारी सिलें सरक गयीं । बेकरार दिल को करार आ गया ज़ेहन में वहशत दहशत की तेज़ आंधियां तहनशीन हो गयीं...बेसहारा होने का एहसास ख़त्म हो गया ।

उसने सर उठा कर उस सिम्त देखा जिधर से अज़ान की आवाज़ आ रही थी, उसकी निगाहें रश भरी चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर सज़ी हुईं बड़ी-बड़ी दुकानों को फलांग कर दूर मस्जिद के आकाश को छूते मिनारों पर ठहर गयीं । मस्जिद की तरफ़ जाने के लिए उसने अपने क़दम तेज़ कर लिए । अज़ान की आवाज़ के साथ ही उसे अपनी बस्ती की मस्जिद याद आ गयी ।

वह अपने ज़ेहन में अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान की गूंज लिए मस्जिद में दाख़िल हुआ, नल के सामने बैठकर वुज़ू करने लगा तब मस्जिद के सेहन में खड़े कुछ बावुज़ू नमाज़ी उसे संदिग्ध निगाहों से देखने लगे । वह इत्मीनान से वुज़ू करके जब खड़ा हुआ और सेहन में गया तब एक शख़्स उसके पास आया और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर उससे पूछने लगा–''तुम नये हो शायद, कहां से आये हो ?''

उसने अपनी बस्ती का नाम बताया । बस्ती का नाम सुनकर वह बोला–''अच्छा...जहां कल दंगा हुआ है उसने मुर्दगी से इस बात में अपना सर हिला दिया । फिर उस शख़्स ने उसका नाम पूछा ।

''अब्दुल्लाह'' उसने अपना नाम बता दिया और फिर अब्दुल्लाह उस शख़्स की तरफ़ इस उम्मीद से देखने लगा कि वह बावुज़ू शख़्स जिसकी पेशानी पर अनगिनत सजदों का मटयाला निशान था उसकी ख़ैरियत पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ । वो लोग मस्जिद-मदरसों को लेकर मीडिया में बनायी गयी ग़लत छवि को लेकर ख़ुद दबाव में थे । उन्होंने कहा कि हम किसी अजनबी को यहां ठहरने नहीं दे सकते । क्या पता तुम कौन हो ? कल को यहां पुलिस आये और हम सबको परेशान करे । इसलिए नमाज़ पढ़ो और चले जाओ ।

अब्दुल्लाह बुझे चेहरे और मुरझाए मन से नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला ही था कि एक आदमी से टकरा गया । अब्दुल्लाह उससे माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना ही चाह रहा था कि, राहगीर को लगा कि शायद वह दुख का मारा है । उसने अब्दुल्लाह से कहा कोई बात नहीं, ग़लती मेरी है, मैं ही देखकर नहीं चल रहा था । फिर उसने पूछ लिया कि शायद यहां नये हो ? अब्दुल्लाह ने हां में सिर हिला दिया । फिर राहगीर ने पूछा कहां जाना है ? बातों-बातों में उस राहगीर ने सब कुछ उससे पूछ लिया ।

राहगीर अब्दुल्लाह की रूदाद सुनकर बोला, ''तुम जिस बस्ती से आये हो वह मेरी जन्मभूमि है भैया, मेरा नाम राम प्रसाद है । बस्ती का सरपंच मेरा छोटा भाई है उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि बस्ती में दंगा बस्ती के बाहर के उन लोगों ने करवाया है जो दंगों की राजनीति करते हैं । तुम चिंता मत करो, जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे मैं तुम्हें ख़ुद तुम्हारी बस्ती में छोड़ आऊंगा । तब तक तुम मेरे मेहमान हो, हां, तुम्हारी नमाज़ मेरे घर में हो सकती है तो मुझे कोई एतिराज़ नहीं होगा ।

अब्दुल्लाह का दिल इतना भर आया कि वह बेइख़्तियार राम प्रसाद से लिपट गया और फूट-फूटकर रोने लगा ।



Estd. 1983

حضرت علیؓ اکیڈمی، مظفر پور (بہار)

Hazrat Ali Academy



دینی وعصری تعلیم کا ایک مثالی ادارہ

Prep to Std.X Islampur,Muz. 7250086228	Prep to Std.VII Chandwara,Muz. 9934775080	Prep to Std.X Sadatpur,Muz. 9939448937

خصوصیات

CBSE & BSEB Curriculum
A Centre of Quality Education
Well Equipped Science & Computer Lab.
Co-curricular Activities
Annual excursion facility
Bus Facility
Observation with CCTV Cameras

۱۔ قرآن ودینیات اور اسلامی تاریخ نصاب میں شامل۔
۲۔ انگریزی، حساب وسائنس میں اعلیٰ استعداد پیدا کرنا۔
۳۔ باصلاحیت، قابل اور مشفق تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم۔
۴۔ بچیوں کے لئے محفوظ باپردہ اسلامی ماحول۔
۵۔ ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعہ طلباء واساتذہ کی تربیت۔
۶۔ دونوں میٹرک بورڈ میں بچے بچیوں کی صد فیصد کامیابی۔

Managed by:

Hazrat Ali Educational & Social Welfare Trust (Regd.)
Islampur, Muzaffarpur (Bihar)
E-mail:- hazrataliacademy@gmail.com
Website:-www.hazrataliacademy.in

इस्लाम में अनुशासन का महत्व

■ जावेद इक़बाल

अनुशासन का अर्थ है–संगठित और दृढ़ आचार-व्यवहार और नीति । इस्लामी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या इस तरह की जा सकती है, ''ऐसा संगठित और परिणामजनक आचार-व्यवहार, जिसकी आधारशिला नैतिक मूल्यों पर हो ।'' अनुशासन के व्यक्तिगत और सामूहिक दो पहलू होते हैं । अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निर्धारित सिद्धांतों पर अमल करे, तो निस्संदेह वह दूसरे लोगों की तुलना में अधिक सफल होगा । इसी तरह अगर कोई संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निर्धारित नियम व सिद्धांतों पर अमल करे, जिसमें अपने कार्य-कर्ताओं की भलाई और उनके मान-सम्मान का लिहाज़ रखा जाता हो, तो ऐसी संस्था को एक संगठित संस्था कहा जा सकता है ।

अनुशासन के तत्वों में समय की पाबन्दी, वचनबद्धता, कामों को एक नियम के अनुसार करना व कराना, फ़ैसलों पर अमल करना भी शामिल है । इसी तरह कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए राय-मशविरे करने का एहतिमाम भी ज़रूरी है । क़ुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–''वे अपने रब का आदेश मानते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, अपने मामले आपस के परामर्श से चलाते हैं ।''

इसको एक परिवार के उदाहरण से सरलता के साथ समझा जा सकता है । एक घर जिसमें मां-बाप और बच्चे तथा अन्य क़रीबी रिश्तेदार रहते हैं, अगर उस घर का संरक्षक अपने सामर्थ्य के अनुसार घर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, बीवी-बच्चों से मुहब्बत और उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करता हो । घर के कामों की समय-सारणी निश्चित हो, घर में खाद्य वस्तुओं को रखने की जगह निर्धारित हो । घर के काम सबके राय-मश्विरे से किये जा सकते हों, ऐसे परिवार को हम एक संगठित परिवार कह सकते हैं ।

इसी तरह कोई शिक्षण संस्थान मदरसा, स्कूल या कॉलेज अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित रूप से कोशिश करे, जिसमें शिक्षक समय पर आएं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से करें, नैतिक मूल्यों को परवान चढ़ाने की कोशिश करें, हर चीज़ का एक नियम निर्धारित हो, पूरे वातावरण में प्रेम व मुहब्बत का प्रभाव हो, तो ऐसे शिक्षण संस्थान को हम एक सफल व संगठित शिक्षण संस्था कह सकते हैं ।

इसके विपरीत जिस संस्था में नियम व सिद्धांत की पाबन्दी न की जाती हो, संस्था का उद्देश्य निर्धारित न हो, कामों का निरीक्षण न किया जाता हो, हालात के सुधार की कोशिश न की जाती हो, तो ऐसे संस्था को हम एक असफल और असंगठित संस्था कह सकते हैं । इस्लाम ने प्रारंभ से ही नियम-सिद्धांत व व्यवस्था को असाधारण महत्व दिया है । इबादतों, मामलों, आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों और राजनीतिक क्षेत्रों मतलब यह कि सारे क्षेत्रों में नियम-सिद्धांत व व्यवस्था की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखायी देती है ।

नमाज़ को ही लीजिए, क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया है, ''नमाज़ वास्तव में ऐसा फ़र्ज़ है जो समय की पाबन्दी के साथ ईमान वालों के लिए अनिवार्य किया गया है ।'' (4:103)। मर्दों को जमाअत से नमाज़ पढ़ने की ताकीद है, लेकिन औरतों के लिए घर पर नमाज़ अदा करने को बेहतर ठहराया गया है । नमाज़ के लिए जब आदमी मस्जिद में जाए तो जमाअत में शामिल होने के लिए दौड़-भाग न करे, बल्कि मान-मर्यादा व संजीदगी का लिहाज़ रखे, सफ़ों को दुरुस्त रखे । जमाअत की नमाज़ में इमाम साहब की पैरवी करे, लेकिन इमाम साहब से अगर कोई भूल हो जाए, तो उसका सुधार कर दिया जाए । नमाज़ के इस अमल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मस्जिद के बाहर मुसलमानों का अमीर या प्रमुख कोई ग़लती करे, तो उसको ध्यान

दिलाना ज़रूरी है । इससे नियम व व्यवस्था बेहतर होगी । समाज में मूल्यों की वृद्धि होगी और शांति व सलामती स्थापित होगी । इसी तरह रोज़ा, हज व ज़कात जैसी इबादतों के लिए भी कुछ नियम व शर्तें नियत हैं । अगर इनकी पाबन्दी न की जाए तो इबादत की अदायगी संभव न हो सकेगी । ये सारे काम नियम व व्यवस्था के दायरे में आते हैं ।

अनुशासन के तत्वों में समय की पाबन्दी, वचनबद्धता, कामों को एक नियम के अनुसार करना व कराना, फ़ैसलों पर अमल करना भी शामिल है । इसी तरह कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए राय-मशविरे करने का एहतिमाम भी ज़रूरी है । कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"वे अपने रब का आदेश मानते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, अपने मामले आपस के परामर्श से चलाते हैं ।"

(कुरआन, 42:38)

इस्लाम ने आर्थिक मामलों और लेन-देन में जो हिदायतें दी हैं, उनका अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं है और अगर ज्ञान है भी तो उस पर कार्यांवित नहीं किया जाता, जिसके कारण संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है, बल्कि दिल फट जाते हैं, मुहब्बत ख़त्म हो जाती है और नौबत लड़ाई-झगड़े तक पहुंच जाती है । इसके विपरीत अगर इस्लाम के सिद्धांतों की पाबन्दी की जाए, तो एक शांतिमय व सभ्य समाज अस्तित्व में आता है । लेन-देन के सिलसिले में अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है–

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी निर्धारित समय के लिए तुम आपस में क़र्ज़ का लेन-देन करो, तो उसे लिख लिया करो । दोनों पक्षों के बीच इन्साफ़ के साथ एक आदमी दस्तावेज़ लिखे । जिसे अल्लाह ने लिखने-पढ़ने की क़ाबिलियत दी हो, उसे लिखने से इन्कार नहीं करना चाहिए । वह लिखे और बोलकर वह आदमी लिखाए जिस पर हक़ आता है (अर्थात क़र्ज़ लेने वाला) और उसे अल्लाह, अपने रब से डरना चाहिए का जो मामला तय पाया हो, उसमें कोई कमी-बेशी न करे । लेकिन अगर क़र्ज़ लेने वाला खुद नादान या कमज़ोर हो, या बोलकर लिख न सकता हो, तो उसका सरपरस्त इन्साफ़ के साथ बोलकर लिखाए । फिर अपने मर्दों में से दो आदमियों की इस पर गवाही करा लो । और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे । ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए, जिनकी गवाही तुम्हारे बीच स्वीकार की जाती हो । गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए, तो उन्हें इन्कार न करना चाहिए । मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, अवधि के निर्धारण के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवा लेने में सुस्ती न करो । अल्लाह के नज़दीक यह तरीक़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा न्यायसंगत है, इससे गवाही क़ायम होने में ज़्यादा आसानी होती है, और संदेहों में तुम्हारे पड़ने की संभावना कम रह जाती है, हां जो व्यापारिक लेन-देन हाथ के हाथ तुम लोग आपस में करते हो, उसको न लिखा जाए तो कोई हरज़ नहीं, मगर व्यापारिक मामले तय करते समय गवाह कर लिया करो । लिखने वाले और गवाह को सताया न जाए । ऐसा करोगे, तो गुनाह का काम करोगे । अल्लाह के ग़ज़ब से बचो । वह तुम्हें सही कार्य नीति की तालीम देता है और उसे हर चीज़ का ज्ञान है ।"

(कुरआन, 2:282)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पवित्र जीवन चरित्र से अनुशासन की कुछ मिसालें यहां प्रस्तुत की जा रही है । अनुशासन के लिए समय की पाबन्दी एक ज़रूरी शर्त है । आप (सल्ल०) अपने दैनिक कामों के सख़्त पाबन्द थे, अत: आपने अपने हर काम का समय निर्धारित कर लिया था ।

जब अल्लाह तआला की ओर से हिजरत करने का आदेश मिल गया, तो आप दोपहर के समय हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) के घर तशरीफ़ ले गये । घर वालों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने आपस में कहा कि यह समय आप (सल्ल०) के आने का नहीं है । अवश्य ही कोई असाधारण बात होगी, क्योंकि आपका नित्य नियम हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) के घर जाने का सुबह या शाम का था ।

इसी तरह आप (सल्ल०) अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) के यहां अस्र की नमाज़ के बाद जाते थे । हिजरत के अवसर पर जो योजना आपने बनायी वह भी अनुशासन की बेहतर दलील है । हर धर्मयुद्ध में भी अनुशासन का प्रभाव हमें स्पष्ट नज़र आता है । इस्लाम सामूहिक जीवन व्यतीत करने को ज़रूरी ठहराता है । अत: आप (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–

"तीन आदमी कहीं सफ़र कर रहे हों, तो उन्हें अपने में से किसी एक को अपना अमीर बना लेना चाहिए ।"

(अबू दाऊद)

एक दूसरी जगह आप (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया– ''एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की भाँति है, जिसका एक भाग दूसरे भाग के लिए मज़बूती और शक्ति प्रदान करने का कारण होता है।'' यह वाक्य कहकर आप (सल्ल॰) ने अपनी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर लोगों को समझाया। (बुख़ारी)

हज़रत उमर (रज़ि॰) इस्लामी शासक बनने के बाद जो तक़रीर आपने की उससे आपके बेहतरीन प्रबंधक होने का पता चलता है। आपने कहा, ''जो व्यक्ति अपने आपको शक्तिशाली समझता है, वह मेरे निकट कमज़ोर है, जब तक कि मैं उससे कमज़ोरों का अधिकार प्राप्त न कर लूं और कमज़ोर मेरे निकट शक्तिशाली है, जब तक कि मैं उसका अधिकार उसे न दिला दूं।''

एक औरत ने एक बार इस्लामी शासक हज़रत उमर (रज़ि॰) को रास्ते में रोका और कहा कि ऐ उमर ! आज तुम अमीरुल मोमिनीन कहलाते हो, मैंने वह ज़माना भी देखा है, जब तुम ऊंट चराते थे और लोग तुम्हें उमेर कहते थे। एक व्यक्ति ने उस औरत से कहा ! क्या तुम अमीरुल मोमिनीन का आदर नहीं कर सकतीं। तुम्हारी बातचीत शिष्टाचार के विरुद्ध मालूम होती है। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कहा, ''यह औरत ठीक कहती है।'' इस तरह एक व्यक्ति ने कई बार कहा, ''ऐ उमर ! अल्लाह से डरो'' दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को रोकना चाहा, मगर हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा, ''इसे कहने दो। उसका हक़ है कि वह कहे और हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम उसकी बात सुने।'' आपने यह भी कहा कि अल्लाह उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करे, जो मेरी कमियों को मुझे बताए।

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने अपने शासनकाल में बड़े-बड़े गवर्नरों और अधिकारियों का तबादला किया, उनके ख़िलाफ़ सैद्धांतिक कार्रवाई की और कभी-कभी पदों से पदच्युत भी किया। मौलाना शिबली नोमानी ने अपनी प्रसिद्ध किताब ''अल-फ़ारूक़'' में लिखा है कि हज़रत उमर (रज़ि॰) को मालूम हुआ कि उनके बेटे अबू-शहमा ने शराब पी है। उन्होंने अपने सामने उसको 80 कोड़े लगवाए जिसके नतीजे में कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। इसी तरह आपने अपने एक सगे-संबंधी को ऐसी ही सज़ा दी। जब कोई शासक अपने क़रीबी रिश्तेदारों के साथ यह अमल करे, तो उसके नियम व प्रबंध पर कौन उंगली उठा सकता है। इस तरह के राज्य में भ्रष्टाचार स्वयं अपनी मौत आप मर जाएगा। इसी तरह अगर कोई गवर्नर ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेता, तो हज़रत उमर (रज़ि॰) या तो उसका तबादला कर देते या पदच्युत कर देते, लेकिन यह घोषणा भी करा देते कि इस व्यक्ति के विरुद्ध यह क़दम कुछ मस्लिहत के तहत उठाया जा रहा है, न कि किसी ख़ियानत के बिना पर।

आज के शासकों और किसी संस्था के प्रमुखों के लिए हज़रत उमर (रज़ि॰) की ज़िन्दगी प्रेरणादायक है। वे अनुशासन पर चलने वाले और बेहतरीन अनुशासन क़ायम करने वाले शासक थे। और क्यों न होते, इसलिए कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) इरशाद फ़रमाया, ''अगर मेरे बाद कोई रसूल होता तो वह उमर होते।'' (तिरमिज़ी)

दोहे

किसकी यह ग़लती सखे, किसने की है छेड़।
दीमक कैसे खा रही, लोकतंत्र का पेड़॥
बने वोट की चोट से, लोकतंत्र मज़बूत।
मूलमंत्र सबका यही, मारो चोट अकूत॥
बजा चुनावी बिगुल अब, नेता मांगे वोट।
नशा बांटते हैं कहीं, कहीं नोट ही नोट॥
जंग ज़ुबानी चल रहा, चलती ज्यों तलवार।
नेताओं में चल रही, आज चुनावी वार॥
जनता तुमसे कह रही, कहकर ग़लती माफ़।
देख दाग़ियों को करो, राजनीति से साफ़॥
सुख-दुख आपस में जुड़े, जैसे दिन 'औ' रात।
मिलती हमको शह कभी, मिले कभी फिर मात॥
क्षमा जैसा तप नहीं, क्षमा जैसा जाप।
सद्गुण यह सबसे बड़ा, नहीं रहे संताप॥
आज धर्म के नाम पर, चांदी कूटे लोग।
देखो चंदा मांग कर, करते निजहित भोग॥
सच्चा मानव है वही, जिसका चित उदार।
चाहे सबका वह भला, पाक, साफ़, उद्गार॥
मैं दुनिया को पढ़ सकूं, ऐसी मिले किताब।
लिखा मिले हर शख़्स का, जिसमें सही हिसाब॥

रोहित यादव
मंडी अटेली महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

विकास के दावों में ग़रीबी

■ प्रभात रंजन

सकल घरेलू उत्पाद (जी॰डी॰पी॰) के आधार पर मापी जाने वाली रैंकिंग में भारत दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । लेकिन आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूप से विकास का निर्धारण नहीं करती है, परिणामस्वरूप मुख्य विकास सूचकों-शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय में भारत की स्थिति चिंताजनक अवस्था में है । विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के लगभग सतहत्तर करोड़ ग़रीबों में सत्ताईस करोड़ भारत में है । हालांकि विश्व बैंक के आंकड़े हालात की गंभीरता का निरूपण करते हैं । इस प्रकार के किसी भी सांगठनिक सरकारी आंकड़े में यह बात ग़ौर की जानी चाहिए कि ये आंकड़े एक सीमा रेखा के नीचे के लोगों की गणना करते हैं, लेकिन उस सीमा रेखा से मात्र कुछ ऊपर के लोग भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते । और तो और, वे ग़रीबों के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं के लिए अपात्र भी हो जाते हैं । ऐसे में ग़रीबों का आंकड़ा कहीं ज़्यादा होता है । इसलिए स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है । बेरोज़गारी और दरिद्रता से उपजी क्षुधा और क्षुधा से उपजी क्षुधा-मृत्यु तक की चरम चिंताजनक स्थिति समाज के वंचित वर्गों के लिए एक अभिशाप है, जिसे झेलने के लिए हमारे देश की एक बड़ी आबादी अभिशप्त है ।

आज भी हमारे देश की बहत्तर फ़ीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । देश के सत्ताईस करोड़ लोगों में अस्सी फ़ीसद ग़रीब गांवों में ही रहते हैं । भारत में ग़रीबी से संबंधित विश्व बैंक के आंकड़े भी बताते हैं कि अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक तैंतालीस फ़ीसद लोग ग़रीब हैं । उसके बाद क्रमशः अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन अन्य वर्ग के लोगों में भी ग़रीबों का फ़ीसद इक्कीस है, जो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है ।

ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद भारत में ग़रीबी उन्मूलन और रोज़गार मुहैया कराने के लिए योजनाएं शुरू नहीं की गयीं । निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से अनाज उत्पादन पांच गुना बढ़ा है । ग़रीबी रेखा से नीचे के तबक़े (भले ही आंकड़ा बहुत छोटा हो) का उत्थान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद आज सात दशक बाद भी आंकड़े भयावह तस्वीर सामने ला रहे हैं और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा ही वंचित हैं ।

यह स्थापित तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचता । भ्रष्टाचार एक सामाजिक-राजनीतिक रूप से मान्य संस्थागत रूप ले चुका है । वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, ग़रीबी उन्मूलन और भोजन सुरक्षा के उद्देश्य से लागू सबसे बृहद योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना और अन्य कई योजनाओं से लक्षित वर्गों को लाभ पहुंचना तो शुरू हुआ है, लेकिन ये योजनाएं भोजन की समस्या को हल कर पाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी हैं ।

इसका मूल कारण प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार प्रमुख है । ये योजनाएं भी दरअस्ल अफ़सरों-कर्मचारियों और बिचौलियों की सांठगांठ का शिकार होती चली गयीं । पिछले कुछ समय में भूख से मौत की कई घटनाएं सामने आयीं । ऐसी घटनाएं सामान्य तौर पर समाज के वंचित तबक़ों में ज़्यादा होती हैं । ये घटनाएं इन योजनाओं की ज़मीनी हक़ीक़त साबित करने के लिए पर्याप्त हैं । राशन कार्डों में फ़र्ज़ीवाड़ा, मध्याह्न भोजन योजना में घोटाले, भोजन की ख़राब गुणवत्ता जैसी शिकायतें आम हैं और यह स्थिति उन क्षेत्रों में और भी भयावह हो जाती है जो पिछड़े हैं, जहां इस तरह की समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है । जिन लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वही लोग राजनीतिक-सांगठनिक शक्ति के अभाव में इन लाभों से वंचित रह जाते हैं । भारत में उदारीकरण के बाद के दौर में पिछड़े इलाक़ों में कुछ नये आयाम भी सामने आये हैं ।

भारतीय इतिहास के किसी भी काल के लिए यह मान्यता स्वीकार नहीं की जा सकती है कि ग्राम पूरी तरह से बंद आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था रहे हैं । परंतु उत्तर-वैश्वीकरण

के काल में गांवों में उत्तरोत्तर पूंजी का चलन बढ़ा है । गांवों में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का बाज़ार बनने लगा । ये परिवर्तन एक तरफ़ से जीवन स्तर में सुधार के रूप में तो दिखाए जा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ़ ये गांवों में भी जीवनयापन के बढ़े हुए ख़र्च की ओर इंगित करते हैं ।

जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मुद्रा का पहले की अपेक्षा महत्व बढ़ गया है और इन सबका परिणाम यह हुआ है कि जीविकोपार्जन के लिए गांव से शहरों, महानगरों की ओर तेज़ी से पलायन हो रहा है । यह पलायन देश के पिछड़े राज्यों से ज़्यादा समृद्ध राज्यों की ओर अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवास के रूप में सामने आया है । लेकिन इसका बुरा असर यह होता है कि जिन क्षेत्रों से रोज़गार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन होता है वहां निश्चित रूप से घरेलू स्तर पर उत्पन्न किये जाने वाले भोज्य पदार्थों जैसे डेयरी उत्पादों और अन्य स्थानीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन की मात्रा घटती है ।

गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रक्रिया ऐतिहासिक काल से ही एक मान्य मानवीय प्रवृत्ति रही है । हालांकि इसके कारण भिन्न-भिन्न रहे हैं । सामान्य तौर पर रोज़गार के उद्देश्य से किया जाने वाला पलायन कम विकसित क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित क्षेत्रों की ओर होता है । पिछले महीने राजधानी दिल्ली में हुई तीन बच्चों की भूख से मौत यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि नगरों की ओर पलायन भी पेट के सवाल को हल करने में बहुत कारगर नहीं है ।

यद्यपि यह देश के पिछड़े क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण जीवन-साधन विधि है । जीवनयापन का मूल्य नगरों में गांवों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, अत: स्वाभाविक तौर पर एक निम्न आय वाले व्यक्ति अथवा उसके परिवार का जीवनयापन दोयम स्तर का ही होगा । पेट का सवाल तो सबसे मौलिक सवाल है ही, लेकिन यह दोयमता भोजन से लेकर शिक्षा तक जीवन के हरेक पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और अंतत: राष्ट्र के भविष्य को भी । आंकड़े बताते हैं कि 1961 की जनगणना के अठारह फ़ीसद की तुलना में 2011 की जनगणना में भारत की शहरी आबादी अट्ठाईस फ़ीसद हो गयी है । इसका बड़ा कारण रोज़गार की तलाश में नगरों की ओर किया जाने वाला पलायन है ।

भारत में सामान्य तौर पर नगरों के नियोजन की प्रवृत्ति नहीं पायी जाती और न ही ये नगर औद्योगिक रूप से इतने विकसित हैं कि बाहर से आने वालों को रोज़गार उपलब्ध करा सकें । अत: इन नगरों में भी रोज़ी-रोटी और बेहतर जीवन की तलाश में आने वाले लोग स्वयं को तथा अपने परिवार को संतोषजनक जीवन प्रदान कर सकने में असमर्थ हैं और यहां अनियमित मज़दूरों के रूप में काम करने के लिए तथा ग़ैर-स्वास्थ्यपूर्ण जीवन-पद्धति के लिए बाध्य होते हैं । इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा भी इनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है ।

इसलिए पेट के सवाल का उत्तर हमें क्षणिक उपलब्धियों या अनुपलब्धियों में नहीं खोजना चाहिए, बल्कि इसे दीर्घकालीन शासकीय असफलताओं एवं त्रुटियों में निर्धारित किया जाना चाहिए । इसके समाधान के लिए व्यापक एवं दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है, जिसमें नगरों में पर्याप्त रोज़गार साधन और सभी के लिए न्यूनतम जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ यह भी ज़रूरी है कि ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों का संतुलित विकास किया जाए । एक सशक्त और समृद्ध ग्रामीण-नगरीय सातत्यता स्थापित करने पर ज़ोर होना चाहिए, जिसमें प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार को मिटा कर सरकारी योजनाओं के सक्षम और सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके वंचित वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि देश से बेरोज़गारी, भूख और क्षुधा-मृत्यु जैसे सामाजिक-आर्थिक कलंकों से हम मुक्ति पा सकें । (सा० : 'जनसत्ता')

25 yrs. Service (Regd.)

AL KAUSAR HOLY HERBAL

HOSPITAL & RESERCH CENTRE

(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)

Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**

Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)

Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India

Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)

Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days

(Rooms available)

Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

हाशिमपुरा : अति विलंबित न्याय?

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

31 साल के बाद 1987 में हुए हाशिमपुरा (मलियाना) मेरठ, कांड में फ़ैसला आया और पी॰ए॰सी॰ के 16 जवानों को उम्रक़ैद की सज़ा मिली । इस सज़ा पर मृतकों के परिजनों ने इत्मीनान का इज़हार तो किया, लेकिन इसे अधूरा इन्साफ़ बताया । उनका कहना है कि हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलती, तो बेहतर होता । दिल्ली हाईकोर्ट ने 42 मुसलमानों की निर्मम हत्या के उन आरोपियों को गत 31 अक्तूबर 2018 को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई, जिन्हें विशेष अदालत बरी कर चुकी थी । 22 मई 2016 को पी॰ए॰सी॰ के जवानों ने अमानवीयता का नंगा नाच किया ।

रमज़ान का महीना था । मुसलमान रोज़ों की हालत में थे । जवान 42 मुसलमानों को ट्रकों में भरकर ले गये, जिन्हें क़तार में खड़ा करके गोली चला दी और लाशों को गंग नहर में फेंक दिया, जिनमें से पांच लोग-मुहम्मद उस्मान, मुहम्मद नईम, महीबुर्रहमान और ज़ुल्फ़िक़ार नासिर-ज़िन्दा बच गये । उस वक़्त भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले "मुस्लिम इंडिया" नामक पत्रिका के संपादक सैयद शहाबुद्दीन ने इस केस में गहरी रुचि दिखाते हुए इसे अदालत तक पहुंचाया । इन्होंने बचे हुए लोगों को साथ लेकर इन्साफ़ की मांग की और इस केस के आरंभिक वर्षों में अदालत में पैरवी की । ज़ाहिर है, यह ऐसा बर्बर मामला था, जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था । लोग बताते हैं कि अप्रैल 1987 में सांप्रदायिक दंगा हुआ और उसे क़ाबू में कर लिया गया ।

18 मई को फिर दंगा भड़का । हाशिमपुरा और आसपास के इलाक़े शांत थे । इसी दौरान एक युवक की हत्या से शहर का माहौल बिगड़ गया । बाद में जो हुआ, वह बड़ा ही हृदय विदारक है । किसी ने भाई तो किसी ने पति को खोया । किसी ने अपने मां-बाप को खो दिया । तीन दशकों से अधिक समय तक विभिन्न अदालतों में केस चला । इस दौरान उस वक़्त इसमें बड़ा ही निराशाजनक मोड़ आया, जब दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने गत वर्ष हाशिमपुरा कांड के आरोपी पी॰ए॰सी॰ जवानों, अधिकारियों को बरी कर दिया । फिर मुसलमानों ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिसने 31 अक्तूबर को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई ।

इस मामले की जो यह परिणति हुई, वह मुसलमानों की मुसलसल पैरवी और बेदारी का नतीजा है । इसमें देश के इन्साफ़पसन्द लोगों का जिस प्रकार सहयोग मिला, वह वाक़ई क़ाबिले तारीफ़ है । आख़िरकार मुसलमानों की कोशिशें रंग लाईं, अन्यथा यह आशंका ज़ाहिर की जाने लगी थी कि इतने बड़ी घटना की हवा निकाल दी गयी थी ।

आरोप तो यहां तक लगे कि घटना के दिन पी॰ए॰सी॰ और पुलिस बल की तैनाती से संबंधित सारे सबूत जो दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए पर्याप्त होते, एक अप्रैल 2006 को साज़िशन नष्ट कर दिया गया । तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और इतने अहम मुद्दे के सबूतों को नष्ट करने का काम बिना मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं हो सकता था ।

उल्लेखनीय है कि हाशिमपुरा कांड के दो दिन बाद मेरठ के ही मलियाना मोहल्ले में पी॰ए॰सी॰ और पुलिस द्वारा 72 मुसलमानों की हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद मुलायम सिंह ने हाशिमपुरा और मलियाना को इन्साफ़ दिलाने का वादा करते हुए मुसलमानों से चौराहों-चौराहों पर वोट मांगा था । लेकिन तीन बार मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने सिर्फ़ दोषी पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देने का ही काम नहीं किया बल्कि उनके कार्यकाल में 1 अप्रैल 2006 को हाशिमपुरा के हत्यारे पी॰ए॰सी॰ और पुलिस अधि- कारियों की घटना के रात की तैनाती से जुड़े सभी दस्तावेज़ी सबूत नष्ट कर दिये गये जिसका खुलासा खुद पीड़ितों द्वारा प्राप्त आर॰टी॰आई॰ उत्तर से हुआ । उन्होंने कहा कि इसी तरह उसी दौरान मलियाना केस का एफ़॰आई॰आर॰ भी थाने से ग़ायब कर दिया गया जिसके कारण मुक़दमा बेरूह का हो गया था ।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

घातक है फफूंद

● संपादन प्रभाग

आज एक ओर जहां फफूंद की उपयोगिता एवं विशेषता को बढ़-चढ़कर प्रचारित किया जा रहा है । वहीं दूसरी ओर इससे होने वाले तमाम दुष्प्रभाव जानलेवा बीमारियों का ख़तरा भी कम नहीं है । विभिन्न कवक प्रजातियों से उत्पन्न होने वाला माइकोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पशुओं एवं मनुष्यों में कई भयानक एवं संक्रामक बीमारियां उत्पन्न करता है ।

पादप बीजों में अंकुरण रोक कर वृद्धि दर को भी प्रभावित करता है ।

पर्याप्त आद्रता एवं मध्य तापमान की पर्यावरणीय परिस्थितियों में फफूंद का विकास तेज़ गति से होता है । बरसात के मौसम में आपने देखा ही होगा, ब्रेड (डबल रोटी) पर बहुत जल्दी फफूंद लग जाती है । इसके विकास का यह अनुकूल मौसम होता है । माइकोटॉकिसंस उत्पन्न करने वाली विभिन्न कवक प्रजातियां हैं–एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस बरसीकोलर, फ्यूजेरियम, सोलेनाई, ग्रेमीनिएरम, पेनिसिलियम सिट्रीनम इत्यादि । इनके बीज मुक्त रूप से वायुमंडल में बिखरे रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही अंकुरित होकर खाद्य पदार्थों में लग जाते हैं । इन पदार्थों पर धीरे-धीरे विकास करते हुए विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा ये ज़हरीले पदार्थ (माइकोटॉकक्सिंस) उत्पन्न करते हैं । जब कोई पशु या मनुष्य इन दूषित पदार्थों को खाता है तो लीवर, किडनी तथा अन्य कई अंगों में भयानक बीमारियां हो जाती हैं । विशेष परिस्थितियों में मृत्यु भी हो सकती है । इन बीमारियों को 'माइकोटॉक्सि-कोसिस' कहा जाता है ।

वर्ष 1960 बी बात है जब ब्रिटेन में 'टर्की एक्स रोग' से लाखों टर्की मर गयी । इसके बाद इस भयंकर बीमारी ने केन्या, युगांडा एवं कई अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया । विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के उपरांत पता चला कि यह रोग दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से फैला था । इन पदार्थों में एस्परजिलस फ्लेक्स नामक फफूंद प्रजाति का पता चला, जो 'एफ्लाटॉनिक्स' नामक ज़हरीले पदार्थ की उत्पत्ति करता है । इसी समय से माइकोटॉक्सिस नामक विज्ञान की नवीन शाखा का आरंभ हुआ । फफूंद से होने वाले रोगों का पता 430 बी॰सी॰ में मिश्र, 1951 में फ्रांस, 1979 में अफ़्रीक़ा तथा 1976 में भारत में चला ।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

दिल्ली में तीस हजारी की एक अदालत ने गत 21 मार्च को 1987 के हाशिमपुरा जनसंहार के सभी 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया । इसमें ख़ास तौर पर आरोपियों की पहचान से जुड़े सबूतों का अभाव था । इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग़ाज़ियाबाद के समक्ष 1996 में आरोपपत्र दायर किया गया था । इसमें 19 लोगों को आरोपी के तौर पर नामज़द किया गया था । सुनवाई के दौरान 19 में से तीन आरोपियों की मौत हो गयी । 16 के ख़िलाफ़ 2006 में यहां की अदालत ने हत्या, हत्या का प्रयास, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और साज़िश के आरोप तय किये थे । सितम्बर 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला दिल्ली स्थानांतरित किया गया । मामले की जांच करने वाली उत्तर प्रदेश की सी॰बी॰-सी॰आई॰डी॰ ने 161 लोगों को गवाह के तौर पर सूचीबद्ध किया था ।

मामले में आरोपपत्र 1996 में ग़ाज़ियाबाद के चीफ़ जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दाख़िल की गयी थी, लेकिन सितम्बर, 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दिल्ली हस्तांतरित किया गया । यह सरकारी आतंकवाद से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सबने पी॰ए॰सी॰ के जवानों को बचाया ही और इन्साफ़ की राह में बहुत-सी अड़चनें पैदा कर दीं । कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा–ये सभी एक ही रंग में नज़र आए । अगर मुसलमान ख़ामोश बैठ जाते और मान लेते कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने पहले से इन्साफ़ को कुचलना तय कर लिया है, तो वे कदापि इस अंजाम तक नहीं पहुंच सकते थे । अत: ऐसे मामलों में हिम्मत न हारकर न्यायपालिका में ठीक से पैरवी करनी चाहिए ।

ये विषैले माइकोटॉक्सिस प्राय: सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद रहते हैं, किन्तु इनकी मात्रा नगण्य से लेकर हानिकारक स्थिति तक हो सकती है । ऐसा देखा गया है कि पौधों पर आने वाले फफूंद से बीजों का अंकुरण कम हो जाता है और उनकी वृद्धि दर भी घट जाती है । बीजों में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेड की मात्रा घटने लगती है तथा पत्तियों में क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है । इसके अलावा राइबोन्यूक्लिक अम्ल व डी-ऑक्सीराइ-बोन्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण कम हो जाता है साथ ही क्रोमोसोम की संख्या अनियंत्रित होने की वजह से कई अन्य विकृतियां जन्म ले सकती हैं । इस तरह पौधे के संपूर्ण भरण-पोषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है ।

एक अनुमान के अनुसार अब तक हज़ारों पशुओं और मनुष्यों की मृत्यु फफूंद से पैदा होने वाले विष के प्रभाव से पैदा हो चुकी है । काफ़ी शोध के उपरांत वैज्ञानिक लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विभिन्न प्रकार के माइकोटॉक्सिस की मात्रा यदि लगातार शरीर में पहुंचती रहे तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है । मशरूम, कवक व फफूंद के नाम से जानी जा रही वनस्पति के इस धीमे ज़हर ने भारत, जापान, मलेशिया, कनाडा, डेनमार्क जापान, इटली, मलावी, नार्वे, रोडेसिया, बेल्जियम, फ्रांस, इजराईल, ब्राजील समेत दुनिया भर में अपनी जड़ें जमा ली हैं ।

दुनिया भर के वैज्ञानिक आज इस गंभीर समस्या से निजात पाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता हासिल नहीं हो सकी है । इन विषैले कवकों को नियंत्रित करने एवं इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय किये जा रहे हैं । इन कवकों से बचाव ही अब तक सर्वमान्य हल है । दुषित एवं फफूंद लगे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देना भी इस धीमे ज़हर से बचने का एक रास्ता है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।



Asian Optics
a multibrand showroom
SNP Area, Sakchi ,Jsr.
2221184
Main Road, Golmuri ,Jsr.
2341175

With Best Compliment From

DR. M. A. PATANKAR

Al-Khaleej Diagnostic Centre









M-2, 2nd Floor, Above SBI Bank
South Extension Part-2, New Delhi-110049
Email : alkhaleejdc@yahoo.com
Tel. No. : 011-26262680-41646577

Posted on 20-21 November 2018
December 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.11.2018
Total pages 52 with Cover

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) की आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख़्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं।
(क़रआन, 24:52)

Best compliments from :
PROP. AZIZUR RAHMAN

City Makers



फ्लैट एवं मकान ख़रीदने के लिए

Tel. : 22851438
22045328

Contact :
City Maker Builder Pvt. Ltd.
6/D, Metro House, Near Regal Cinema,
Kolaba, Mumbai-400001 (Maharashtra)